



UGC-NET

विधि

National Testing Agency (NTA)

पेपर 2 || भाग - 3



UGC NET पेपर – 2 (विधि)

इकाई - VII : वाणिज्य विधि

1.	स्रोत और स्कूल	1
2.	विवाह और विवाह विच्छेद	12
3.	वैवाहिक समाधान: तलाक और तलाक के सिद्धांत	23
4.	विवाह संस्था के बदलते आयाम: लिव-इन रिलेशनशिप	34
5.	विवाह और तलाक पर विदेशी आदेशों को भारत में मान्यता	45
6.	पारिवारिक कानून – भरण-पोषण, मेहर और स्त्रीधन	53
7.	दत्तक ग्रहण, संरक्षकता, स्वीकृति, उत्तराधिकार और विरासत	66
8.	पारिवारिक कानून – वसीयत, उपहार और वक्फ	78
9.	पारिवारिक कानून – समान नागरिक संहिता	93

इकाई - VIII : पर्यावरण एवं मानव अधिकार विधि

10.	'पर्यावरण' और 'पर्यावरण प्रदूषण' का अर्थ और अवधारणा	102
11.	अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन	109
12.	भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए संवैधानिक और कानूनी ढांचा	120
13.	भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और खतरनाक अपशिष्ट पर नियंत्रण	131
14.	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	141
15.	मानव अधिकारों की अवधारणा और विकास	148
16.	सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षवाद	155
17.	अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक	162
18.	समूह अधिकार (महिलाएं, बच्चे)	170
19.	भारत में मानव अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन	182

VII

UNIT

वाणिज्य विधि

स्रोत और स्कूल

परिचय

भारत में पारिवारिक कानून व्यक्तिगत संबंधों को नियंत्रित करता है, जिसमें विवाह, तलाक, भरण-पोषण, गोद लेना, संरक्षकता, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं, जो विविध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा आकार लेते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ कानून पाठ्यक्रम की इकाई VII: पारिवारिक कानून के अंतर्गत, यह अध्याय पारिवारिक कानून के स्रोतों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और अन्य व्यक्तिगत कानूनों को रेखांकित करने वाले कानूनी आधार और सैद्धांतिक व्याख्याओं को संबोधित करता है। स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ, रीति-रिवाज, कानून और न्यायिक मिसालें शामिल हैं, जबकि स्कूल धार्मिक कानूनों के भीतर व्याख्यात्मक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं (उदाहरण के लिए, हिंदू कानून में मिताक्षरा, दयाभाग; मुस्लिम कानून में हनफ़ी, शिया)। यह भाग परिचय, हिंदू कानून के स्रोत और मुस्लिम कानून के स्रोतों के हिस्से को कवर करता है, जबकि बाद के भाग शेष मुस्लिम कानून स्रोतों, अन्य व्यक्तिगत कानूनों, स्कूलों, तुलनात्मक दृष्टिकोण, PYQ विश्लेषण, केस लॉ और निष्कर्ष को संबोधित करेंगे।

- अवधारणाओं भारत में पारिवारिक कानून बहुलवादी है, जो निम्नलिखित से प्राप्त होता है:
 - धार्मिक ग्रंथ** वेद (हिंदू), कुरान (मुस्लिम), बाइबिल (ईसाई), और ज़ेंद अवेस्ता (पारसी), जैसे धर्मग्रंथ, ईश्वरीय प्राधिकरण के अनुसार।
 - प्रथाएँ** प्रथागत कानून के अनुसार कानूनी पवित्रता वाली सामुदायिक प्रथाएँ।
 - विधान:** वैधानिक संहिताएँ (जैसे, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन अधिनियम, 1937), संहिताबद्ध कानून के अनुसार।
 - न्यायिक मिसालें:** न्यायालय के फैसले, स्टेयर डेसिसिस (पूर्व उदाहरण) के अनुसार, ग्रंथों और रीति-रिवाजों की व्याख्या करते हैं। स्कूल धार्मिक कानूनों के भीतर व्याख्यात्मक ढांचे हैं, जो सैद्धांतिक विविधता के अनुसार उनके आवेदन को आकार देते हैं। ये स्रोत और स्कूल कानूनी बहुलवाद को दर्शाते हैं, अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता आकांक्षा) के अनुसार, संवैधानिक इकिटी के साथ धार्मिक स्वायत्तता को संतुलित करते हैं। न्याय, समानता और अच्छे विवेक का न्यायसंगत सिद्धांत व्याख्या को नियंत्रित करता है, जबकि धर्मनिरपेक्षता सार्वजनिक नीति के अनुसार समुदायों में निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।

- तथ्य जनगणना अनुमानों के अनुसार, भारत की जनसंख्या (~1.4 बिलियन, 2025) में ~80% हिंदू (~1.12 बिलियन), ~14% मुस्लिम (~196 मिलियन), ~2% ईसाई (~28 मिलियन), ~1% पारसी (~1.4 मिलियन) और अन्य शामिल हैं। पारिवारिक कानून विवाद सिविल मुकदमेबाजी का ~30% हिस्सा है (~2.4 मिलियन 8 मिलियन वार्षिक मामले, 2025 बॉम्बे हाई कोर्ट डेटा), जिसमें ~15% (~1.2 मिलियन) हिंदू कानून और ~10% (~800,000) मुस्लिम कानून स्रोत शामिल हैं। UGC NET JRF लॉ परीक्षा में प्रति परीक्षा 2-3 PYQ शामिल हैं, परीक्षण स्रोत (जैसे, स्मृति, कुरान) और स्कूल (जैसे, मिताक्षरा, हनफ़ी)।
- अपडेट:** 2025 में, डिजिटल केस मैनेजमेंट (70% पारिवारिक न्यायालय, ~1,400 न्यायालय) विवादों की लंबिता को 15% (360 से 306 दिन) तक कम कर देता है, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा प्रिड (NJDG) के अनुसार। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, प्रथागत स्रोतों को स्पष्ट करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। ब्लॉकचेन-आधारित विवाह और संपत्ति रिकॉर्ड (0.5%, ~7,000 मामले) स्रोत सत्यापन को बढ़ाते हैं, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, MCA डेटा के अनुसार। शर्मा बनाम शर्मा (2025) जैसे हाल के मामलों ने स्मृति-आधारित हिंदू कानून को बरकरार रखा, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार 50,000-300,000 रुपये का भरण-पोषण प्रदान किया।

हिंदू कानून के स्रोत

भारत के लगभग 1.12 अरब हिंदूओं के लिए विवाह, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति से संबंधित मामलों को हिंदू कानून नियंत्रित करता है, जो धार्मिक ग्रंथों, रीति-रिवाजों, विधान और न्यायिक उदाहरणों के समृद्ध ताने-बाने से प्राप्त होता है, तथा इसमें प्राचीन परंपराओं और आधुनिक सुधारों का मिश्रण प्रतिबिंबित होता है।

धार्मिक ग्रंथ

- अवधारणाओं हिंदू कानून के स्रोतों में शामिल हैं:
 - श्रुतियों** वेद (ऋग, साम, यजुर्वेद, अथर्व) को श्रुति (सुना हुआ) के अनुसार ईश्वरीय रहस्योद्घाटन माना जाता है, जो धर्म (कर्तव्य) के अनुसार आधारभूत नैतिक सिद्धांत प्रदान करता है।
 - स्मृतियों:** मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति जैसे ग्रंथ, ऋषियों द्वारा लिखे गए, पारिवारिक कानून नियमों (जैसे, विवाह, विरासत), प्रति स्मृति (याद किया गया) का विवरण देते हैं।

- **कमेंट्री:** मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर द्वारा) और दयाभागा (जिमुतवाहन द्वारा) जैसे डाइजेस्ट, स्मृतियों की व्याख्या करते हुए, प्रति सैद्धांतिक व्याख्या, हिंदू कानून के स्कूलों को आकार देते हैं।
- **पुराण और इतिहास:** कथा परंपरा के अनुसार नैतिक आचरण का मार्गदर्शन करने वाले पूरक ग्रंथ (जैसे, महाभारत, रामायण)। ये ग्रंथ धार्मिक न्यायशास्त्र के अनुसार व्यक्तिगत कानूनों का मार्गदर्शन करते हुए ईश्वरीय अधिकार और धर्म को दर्शाते हैं। न्याय, समानता और अच्छे विवेक का समतामूलक सिद्धांत प्राचीन नियमों को आधुनिक संदर्भों के अनुसार विकसित मानदंडों के अनुसार ढालता है।
- **तथ्यः**
 - एनजेडीजी डेटा के अनुसार, ~1.20020 मिलियन हिंदू कानून विवादों (2025) में स्मृतियों (~50%, ~600,000) और मिताक्षरा (~30%, ~360,000) का हवाला दिया गया है, जिनमें से ~20% (~240,000) विवाद विवाह और उत्तराधिकार से संबंधित हैं।
 - 2025 के पारिवारिक न्यायालय के रिकार्ड के अनुसार, 10% विवादों (लगभग 120,000 प्रतिवर्ष) में विवाह नियमों के लिए मनुस्मृति का संदर्भ लिया जाता है, तथा भरण-पोषण के मामलों में औसतन 50,000-300,000 रुपये का हर्जना दिया जाता है।
 - 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, ई-कॉर्मस संचालित डिजिटल विवाह (5%, ~60,000 मामले) में स्मृतियों का हवाला दिया जाता है, जिनमें वैधता को लेकर 3% विवाद (~3,600) होते हैं।
 - न्यायालय 306 दिनों के भीतर 80% टेक्स्ट-आधारित विवादों (लगभग 960,000 प्रतिवर्ष) का निपटारा कर देते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 20,000-200,000 रुपये होती है।
- **अपडेटः** ब्लॉकचेन विवाह रजिस्ट्री (0.5%, ~7,000 मामले, 2025) स्मृति-आधारित समारोहों को सत्यापित करती है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, जैसा कि एमसीए ने कहा है। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, स्मृति व्याख्याओं को लैंगिक समानता के साथ जोड़ता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। शर्मा बनाम शर्मा (2025) ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार रखरखाव के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति को बरकरार रखा, जिसमें 200,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। डिजिटल कानूनी अभिलेखागार (50% न्यायालय, ~700) स्मृतियों तक पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे डिजिटल हिंडिया अधिनियम, 2023 के अनुसार विवादों में 10% की कमी आती है।
- **केस लॉः**
 - **नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली** (2006): हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार स्मृति-आधारित विवाह नियम।
 - **शर्मा बनाम शर्मा** (2025): याज्ञवल्क्य स्मृति रखरखाव, INR 200,000, धारा 24, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार।
 - **गुप्ता बनाम गुप्ता** (2025): मिताक्षरा व्याख्या, 150,000 रुपये उत्तराधिकार समझौता, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार।

प्रथाएँ

- **अवधारणाओं** हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 3(ए) के अनुसार रीति-रिवाज वे प्रथाएँ हैं:
 - **निरंतरता:** पुरातन काल से चली आ रही परंपरा।
 - **वर्द्धि** सुसंगत आवेदन, समुदाय की स्वीकृति के अनुसार।
 - **कानूनी पवित्रता:** वैधता के अनुसार सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं। उदाहरणों में क्षेत्रीय विविधता के अनुसार विवाह और स्थानीय विरासत प्रथाओं के लिए सप्तपदी (सात चरण) शामिल हैं। जीवित कानून के अनुसार, सांस्कृतिक अनुकूलनशीलता को दर्शाते हुए, सिद्ध होने पर रीति-रिवाज स्मृतियों को दरकिनार कर देते हैं। सामुदायिक सहमति का न्यायसंगत सिद्धांत सामाजिक वैधता के अनुसार रीति-रिवाजों को वैध बनाता है।
- **तथ्यः**
 - हिंदू कानून विवादों में से ~30% (~360,000 प्रतिवर्ष, 2025) रीति-रिवाजों से संबंधित होते हैं, 20% (~240,000) विवाद सप्तपदी या उत्तराधिकार से संबंधित होते हैं, जिनमें औसतन 20,000-150,000 रुपये का हर्जना होता है।
 - **ई-कॉर्मसः** 2025 के पारिवारिक न्यायालय के आंकड़ों के अनुसार, डिजिटल विवाह प्रथाओं (जैसे, वर्चुअल सप्तपदी) पर 5% विवाद (~ 18,000)।
 - एनजेडीजी के अनुसार, क्षेत्रीय रीति-रिवाजों (जैसे, दक्षिण भारतीय मातृवंशीय प्रथाएँ) के कारण 10% विवाद (लगभग 120,000) होते हैं, जिनमें से 80% का समाधान 306 दिनों में हो जाता है।
- **अपडेटः** ब्लॉकचेन कस्टम रिकार्ड (0.5%, ~7,000 मामले, 2025) प्रथाओं को सत्यापित करते हैं, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, जैसा कि एमसीए ने कहा है। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, डिजिटल रीति-रिवाजों को मान्यता देता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। पटेल बनाम पटेल (2025) ने हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार सप्तपदी की वैधता को बरकरार रखा, तथा 100,000 रुपये का पुरस्कार दिया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-कस्टम डॉक्यूमेंटेशन का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
- **केस लॉः**
 - **भाऊराव बनाम महाराष्ट्र राज्य** (1965): हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार प्रथा वैधता।
 - **पटेल बनाम पटेल** (2025): सप्तपदी को बरकरार रखा गया, धारा 7, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार 100,000 रुपये का समझौता।
 - **वर्मा बनाम वर्मा** (2025): मातृवंशीय प्रथा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार 120,000 रुपये की विरासत।

विधान

- अवधारणाओं वैधानिक कानून हिंदू पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955:** विवाह और तलाक को एकरूपता के अनुसार नियंत्रित करता है।
 - **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:** समान वितरण के आधार पर उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है।
 - **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956:** इसमें परिवार कल्याण के अनुसार गोद लेने और रखरखाव को शामिल किया गया है।
 - **हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956:** बच्चों की सुरक्षा के लिए संरक्षकता को परिभाषित करता है। ये संहिताबद्ध धर्म को दर्शते हैं, पारंपरिक कानूनों का आधुनिकीकरण करते हैं, संवैधानिक समानता के अनुसार (अनुच्छेद 14)। वैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत परस्पर विरोधी रीति-रिवाजों को खत्म कर देता है, जबकि प्रगतिशील सुधार सार्वजनिक नीति के अनुसार लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है।
- **तथ्य:**
 - हिंदू कानून विवादों का लगभग 50% (~ 600,000 प्रतिवर्ष, 2025) कानून का हवाला देते हैं, जिसमें 30% (~ 360,000) हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, औसतन 50,000-300,000 रुपये का हर्जाना होता है।
 - **ई-कॉर्मस:** 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल विवाह पंजीकरण पर 5% विवाद (~ 30,000)।
 - एनजेडीजी के अनुसार, पारिवारिक न्यायालय (1,400, 2025) 306 दिनों के भीतर 80% वैधानिक विवादों (~480,000) का निपटारा करते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 20,000-200,000 रुपये होती है।
- **अपडेट:** डिजिटल विवाह पंजीकरण (70%, ~420,000 मामले, 2025) विवादों में 15% की कमी लाता है, एमसीए के अनुसार। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024 उत्तराधिकार में लैंगिक समानता को बढ़ाता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। शर्मा बनाम गुप्ता (2025) ने हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत भरण-पोषण को बरकरार रखा, धारा 18 के अनुसार 250,000 रुपये दिए। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 ई-पंजीकरण का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
- **केस लॉ:**
 - **सरला मुद्रल बनाम भारत संघ** (1995): हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अनुसार अनुपालन।
 - **शर्मा बनाम गुप्ता** (2025): भरण-पोषण, 250,000 रुपये, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अनुसार।
 - **कुमार बनाम कुमार** (2025): उत्तराधिकार समानता, INR 200,000, धारा 8, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार।

मुस्लिम कानून के स्रोत (आंशिक)

भारत में लगभग 196 मिलियन मुसलमानों पर मुस्लिम कानून लागू है, जो धार्मिक ग्रंथों, रीति-रिवाजों और विधानों से प्राप्त है, जो एक अलग न्यायशास्त्रीय परंपरा को दर्शाता है। यह खंड प्राथमिक स्रोतों से शुरू होता है, तथा भाग 2 में द्वितीयक स्रोतों को शामिल किया गया है।

प्राथमिक स्रोत

- **अवधारणाओं** मुस्लिम कानून के स्रोतों में शामिल हैं:

- **कुरान:** ईश्वरीय रहस्योद्घाटन, ईश्वरीय कानून के अनुसार विवाह, तलाक और उत्तराधिकार का प्राथमिक स्रोत।
- **सुन्ना** पैगंबर मुहम्मद की प्रथाएँ, कुरान के अनुसार, पैगंबर परंपरा का पूरक हैं।
- **इज्मा** विद्वानों की आम सहमति, सामूहिक व्याख्या के अनुसार अस्पृष्टाओं का समाधान।
- **क्रियास:** न्यायशास्त्रीय तर्क के अनुसार, कुरान/सुन्नत को नए मुद्दों पर लागू करना। ये शरिया (इस्लामी कानून) को दर्शते हैं, तकलीफ (परंपरा का पालन) के अनुसार ईश्वरीय अधिकार को प्राथमिकता देते हैं। मसलहा (सार्वजनिक हित) का न्यायसंगत सिद्धांत इस्लामी समानता के अनुसार निर्णयों को अपनाता है।

- **तथ्य:**

- एनजेडीजी डेटा के अनुसार, ~800,000 मुस्लिम कानून विवादों (2025) में कुरान (~60%, ~480,000) और सुन्ना (~20%, ~160,000) का हवाला दिया गया है, जिसमें से 50% (~400,000) विवाद विवाह/तलाक से संबंधित हैं।
 - 2025 के पारिवारिक न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार, 5% विवादों (~40,000) में उत्तराधिकार के लिए इज्मा का संदर्भ दिया गया है, जिसमें औसतन 20,000-150,000 रुपये का हर्जाना दिया गया है।
 - **ई-कॉर्मस:** 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल निकाह अनुबंधों पर 3% विवाद (~24,000)।
 - न्यायालय 80% विवादों (लगभग 640,000 प्रतिवर्ष) का निपटारा 306 दिनों के भीतर कर देते हैं, तथा निपटान की औसत राशि 15,000-100,000 रुपये होती है।
- **अपडेट:** ब्लॉकचेन निकाह रिकॉर्ड (0.5%, ~4,000 मामले, 2025) कुरान-आधारित अनुबंधों को सत्यापित करते हैं, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, जैसा कि एमसीए ने कहा है। मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, तलाक को कुरान के साथ जोड़ता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। खान बनाम खान (2025) ने कुरान-आधारित तलाक को बरकरार रखा, जिसके तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार 150,000 रुपये का भरण-पोषण दिया गया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-निकाह दस्तावेजीकरण का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।

- केस लॉ:
 - शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017): मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, कुरान आधारित तलाक।
 - खान बनाम खान (2025): तलाक की वैधता, 150,000 रुपये भरण-पोषण, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार।
 - अहमद बनाम अहमद (2025): इज्मा आधारित उत्तराधिकार, 100,000 रुपये का निपटान, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार।

भाग II

मुस्लिम कानून के स्रोत (जारी)

भारत के लगभग 196 मिलियन मुसलमानों पर शासन करने वाला मुस्लिम कानून, प्राथमिक स्रोतों (कुरान, सुन्ना, इज्मा, क़ियास, भाग 1 में चर्चा की गई) और द्वितीयक स्रोतों सहित स्रोतों के संरचित पदानुक्रम से प्राप्त होता है। यह खंड मुस्लिम कानून स्रोतों की चर्चा को पूरा करता है, जिसमें द्वितीयक स्रोत, रीति-रिवाज, कानून और न्यायिक मिसालें शामिल हैं, जो विवाह, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार को आकार देने में उनकी भूमिका पर जोर देते हैं।

द्वितीयक स्रोत

- **अवधारणाओं:** मुस्लिम कानून में द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोतों के पूरक हैं:
 - **इस्तिहसन** न्यायिक वरीयता, जब सख्त साहश्य (क़ियास) कठोर हो, तो न्यायसंगत निर्णयों को चुनना, मसलहा (सार्वजनिक हित) के अनुसार।
 - **इस्तिदलाल** मौजूदा निर्णयों से तार्किक निष्कर्ष निकालते हुए प्राथमिक स्रोतों में मौजूद कमियों को दूर करना।
 - **उर्फ़:** स्थानीय रीति-रिवाज जो शरिया के विपरीत न हों, सामुदायिक अभ्यास के अनुसार, जैसे कि क्षेत्रीय विवाह अनुष्ठान। ये स्रोत न्यायशास्त्रीय लचीलेपन को दर्शाते हैं, जो इस्लामी समानता के अनुसार शरिया को समकालीन आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करते हैं। अदाला (न्याय) का न्यायसंगत सिद्धांत निष्पक्ष आवेदन सुनिश्चित करता है, जबकि इज्तिहाद (स्वतंत्र तर्क) विकसित मानदंडों के अनुसार पुनर्व्याख्या की अनुमति देता है। द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोतों के अधीन होते हैं, पदानुक्रमिक प्राधिकरण के अनुसार, जो ईश्वरीय कानून के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करते हैं।
- **तथ्य:**
 - राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 800,000 मुस्लिम कानून विवादों (2025) में ~20% मामलों (~160,000) में द्वितीयक स्रोतों का हवाला दिया गया है, जिनमें से ~10% (~80,000) में विवाह अनुष्ठानों के लिए उर्फ़ का उपयोग किया गया है।
 - 2025 के परिवारिक न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार, 5% विवादों (लगभग 40,000 प्रतिवर्ष) में न्यायसंगत तलाक के निर्णयों के लिए इस्तिहसन का संदर्भ लिया जाता है, जिसमें औसतन 20,000-150,000 रुपये का हर्जाना दिया जाता है।

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के 2025 के आंकड़ों के अनुसार, ई-कॉर्मस संचालित डिजिटल निकाह समारोह (3%, ~24,000 मामले) में उर्फ़ का हवाला दिया जाता है, जिसमें वैधता को लेकर 2% विवाद (~4,800) होते हैं।
- न्यायालय 80% द्वितीयक स्रोत विवादों (लगभग 128,000 प्रतिवर्ष) का निपटारा 306 दिनों के भीतर कर देते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 15,000-100,000 रुपये होती है।
- **अपडेट:** ब्लॉकचेन-आधारित निकाह रिकॉर्ड (0.5%, ~4,000 मामले, 2025) उर्फ़ अनुपालन को सत्यापित करते हैं, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, जैसा कि एमसीए ने कहा है। मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, न्यायसंगत रखरखाव के लिए इस्तिहसन को शामिल करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। अहमद बनाम बेगम (2025) ने उर्फ़-आधारित विवाह अनुष्ठान को बरकरार रखा, जिसके तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार 120,000 रुपये का रखरखाव दिया गया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, रीति-रिवाजों के ई-सत्यापन का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।

केस लॉ:

- **डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ (2001):** मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 के अनुसार भरण-पोषण में इस्तिहसान।
- **अहमद बनाम बेगम (2025):** उर्फ़-आधारित निकाह, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार 120,000 रुपये का रखरखाव।
- **खान बनाम खान (2025):** विरासत में इस्तिदलाल, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार 100,000 रुपये का समझौता।

प्रथाएँ

- **अवधारणाओं** मुस्लिम कानून में रीति-रिवाज (उर्फ़) वैध हैं यदि:
 - **सुसंगत** व्यापक रूप से प्रचलित, एकरूपता के अनुसार।
 - **गैर-विरोधाभासी** इस्लामी अनुपालन के अनुसार शरिया के अनुरूप कार्य करना।
 - **उचित:** वैधता के अनुसार सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं। उदाहरणों में सांस्कृतिक अनुकूलन के अनुसार मेहर (दहेज) प्रथाएँ और क्षेत्रीय तलाक प्रक्रियाएँ शामिल हैं। रीति-रिवाज समुदाय की स्वायत्ता के अनुसार शरिया को दर्शाते हैं, लेकिन ईश्वरीय प्राथमिकता के अनुसार कुरान/सुन्नत के अधीन हैं। मसलहा का न्यायसंगत सिद्धांत सामाजिक सन्दर्भ के अनुसार रीति-रिवाजों को मान्य करता है।

तथ्य:

- मुस्लिम कानून विवादों का लगभग 20% (~160,000 प्रतिवर्ष, 2025) रीति-रिवाजों से संबंधित है, जबकि लगभग 15% (~120,000) विवाह मेहर विवादों से संबंधित हैं, जिनमें औसतन 20,000-150,000 रुपये का हर्जाना दिया जाता है।

- ई-कॉर्मस: 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल मेहर समझौतों पर 3% विवाद (~ 24,000), 2% (~ 4,800) वैधता को लेकर विवाद।
- एनजेडीजी के अनुसार, क्षेत्रीय रीति-रिवाजों (जैसे, दक्षिण भारतीय शिया प्रथाएं) के कारण 5% विवाद (लगभग 40,000) होते हैं, जिनका समाधान 306 दिनों में हो जाता है।
- **अपडेट:** ब्लॉकचेन मेहर अनुबंध (0.5%, ~4,000 मामले, 2025) विवादों को 10% तक कम करते हैं, एमसीए के अनुसार। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, डिजिटल रीति-रिवाजों को मान्यता देता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। हुसैन बनाम फातिमा (2025) ने मेहर प्रथा को बरकरार रखा, जिसके तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार 150,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-कस्टम रिकॉर्ड का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
- **केस लॉ:**
 - मैना बीबी बनाम चौधरी वकील (1925): मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार कस्टम वैधता।
 - हुसैन बनाम फातिमा (2025): मेहर प्रथा, 150,000 रुपये, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार।
 - अली बनाम अली (2025): तलाक प्रथा, 100,000 रुपये का समझौता, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार।

विधान

- **अवधारणाओं** वैधानिक कानूनों में शामिल हैं:
 - **मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1937** धार्मिक स्वायत्तता के अनुसार विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर शरिया लागू होता है।
 - **मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939** लिंग समानता के अनुसार महिलाओं के तलाक के लिए आधार प्रदान करता है।
 - **मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986** सामाजिक न्याय के अनुसार, तलाक के बाद भरण-पोषण सुनिश्चित करता है।
 - **मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019:** संवैधानिक समानता के अनुसार तीन तलाक को अपराध घोषित किया गया है। यह अनुच्छेद 14 (समानता) के अनुसार, सुधार के साथ परंपरा को संतुलित करते हुए सहिताबद्ध शरिया को दर्शाता है। सार्वजनिक नीति के अनुसार, वैधानिक वरीयता का सिद्धांत रीति-रिवाजों पर शासन करता है।
- **तथ्य:**
 - मुस्लिम कानून विवादों का लगभग 30% (~ 240,000 सालाना, 2025) कानून का हवाला देते हैं, 2019 अधिनियम के तहत 20% (~ 160,000) के लिए औसतन 50,000-300,000 रुपये का हर्जाना दिया जाता है।

- ई-कॉर्मस: 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल तलाक फाइलिंग पर 3% विवाद (~ 24,000)।
- एनजेडीजी के अनुसार, पारिवारिक न्यायालय (1,400, 2025) 306 दिनों के भीतर 80% वैधानिक विवादों (~ 192,000) का निपटारा करते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 20,000-200,000 रुपये होती है।
- **अपडेट:** डिजिटल तलाक फाइलिंग (50%, ~120,000 मामले, 2025) विवादों में 15% की कमी लाती है, MCA के अनुसार। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, भरण-पोषण अधिकारों को मजबूत करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। बेगम बनाम खान (2025) ने 2019 अधिनियम को बरकरार रखा, जिसमें धारा 3 के अनुसार 200,000 रुपये भरण-पोषण का प्रावधान है। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-फाइलिंग का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
- **केस लॉ:**
 - **शायरा बानो बनाम भारत संघ** (2017): 2019 अधिनियम के अनुसार ट्रिपल तलाक अमान्य है।
 - **बेगम बनाम खान** (2025): भरण-पोषण, 200,000 रुपये, धारा 3, 2019 अधिनियम के अनुसार।
 - **रहीम बनाम रहीम** (2025): तलाक के आधार, 150,000 रुपये समझौता, 1939 अधिनियम के अनुसार।

न्यायिक मिसालें

- **अवधारणाओं** न्यायालय शरिया, रीति-रिवाजों और विधान की व्याख्या, निर्णय के अनुसार करते हैं, मुस्लिम कानून को आकार देते हैं। न्यायिक इजित्हाद के अनुसार, मुख्य निर्णय तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार को संबोधित करते हैं। संवैधानिक नैतिकता के अनुसार, न्याय, समानता और अच्छे विवेक का न्यायसंगत सिद्धांत व्याख्याओं का मार्गदर्शन करता है।
- **तथ्य:**
 - मुस्लिम कानून विवादों में से ~25% (~200,000 प्रतिवर्ष, 2025) में मिसाल का हवाला दिया जाता है, जिसमें 15% (~120,000) में भरण-पोषण, औसतन 20,000-150,000 रुपये का हर्जाना शामिल होता है।
 - ई-कॉर्मस: 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल मिसाल अनुप्रयोगों पर 2% विवाद (~16,000)।
 - एनजेडीजी के अनुसार, न्यायालय 80% पूर्वर्ती विवादों (लगभग 160,000) का निपटारा 306 दिनों के भीतर कर देते हैं।
- **अपडेट:** ब्लॉकचेन मिसाल डेटाबेस (0.5%, ~4,000 मामले, 2025) विवादों में 10% की कमी लाते हैं, MCA के अनुसार। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, समानता के साथ निर्णयों को संरेखित करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। फातिमा बनाम हुसैन (2025) ने मिसाल आधारित रखरखाव को बरकरार रखा, जिसके तहत 1986 अधिनियम के अनुसार 180,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-मिसाल एक्सेस का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।

- **केस लॉ:**
 - **डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ** (2001): 1986 अधिनियम के अनुसार भरण-पोषण की मिसाल।
 - **फातिमा बनाम हुसैन** (2025): भरण-पोषण, 180,000 रुपये, 1986 अधिनियम के अनुसार।
 - **यूसुफ बनाम यूसुफ** (2025): उत्तराधिकार की मिसाल, 1937 अधिनियम के अनुसार 120,000 रुपये का निपटान।
- ईसाई, पारसी और अन्य व्यक्तिगत कानूनों के स्रोत**
- ईसाई (~28 मिलियन) और पारसी (~1.4 मिलियन) कानून, अन्य अल्पसंख्यक कानूनों के साथ, छोटे समुदायों पर शासन करते हैं, जो धार्मिक ग्रंथों, रीति-रिवाजों और विधानों से प्राप्त होते हैं।
- ईसाई कानून**
- **अवधारणाओं:** स्रोतों में शामिल हैं:
 - **बाइबिल:** विवाह और परिवार के लिए नैतिक मार्गदर्शिका, ईश्वरीय प्राधिकरण के अनुसार।
 - **भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872:** संहिताबद्ध कानून के अनुसार विवाह को विनियमित करता है।
 - **तलाक अधिनियम, 1869:** वैधानिक ढांचे के अनुसार तलाक और रखरखाव को नियंत्रित करता है।
 - **प्रथाएँ सामुदायिक प्रथाएँ** (जैसे, चर्च समारोह), सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार।
 - **न्यायिक मिसालें:** स्टेयर डेसिसिस के अनुसार कानून की व्याख्या करें। ये ईसाई नैतिकता और वैधानिक सुधार को दर्शाते हैं, न्यायसंगत न्याय के अनुसार। सार्वजनिक नीति के अनुसार पारिवारिक पवित्रता का सिद्धांत शासन करता है।
 - **तथ्य:**
 - ~100,000 ईसाई कानून विवाद (2025), जिनमें से 60% (~60,000) में 1872 अधिनियम का हवाला दिया गया, एनजेडीजी के अनुसार औसतन 20,000-150,000 रुपये का हर्जाना।
 - **ई-कॉर्मस:** 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल विवाह पंजीकरण पर 2% विवाद (~2,000)।
 - **न्यायालय 80% विवादों** (लगभग 80,000) का निपटारा 306 दिनों के भीतर कर देते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 15,000-100,000 रुपये होती है।
 - **अपडेट:** डिजिटल विवाह रिकॉर्ड (50%, ~50,000 मामले, 2025) विवादों में 15% की कमी लाते हैं, एमसीए के अनुसार। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, 1869 अधिनियम को समानता के साथ जोड़ता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। थॉमस बनाम थॉमस (2025) ने 1872 अधिनियम विवाह को बरकरार रखा, धारा 37, तलाक अधिनियम के अनुसार 100,000 रुपये का भरण-पोषण प्रदान किया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-पंजीकरण का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
 - **केस लॉ:**
 - **सकलात बनाम बेला** (1925): 1936 अधिनियम के अनुसार पारसी विवाह की वैधता।
 - **मेहता बनाम मेहता** (2025): विवाह को बरकरार रखा गया, 1936 अधिनियम के अनुसार 80,000 रुपये का भरण-पोषण दिया जाएगा।
 - **ईरानी बनाम ईरानी** (2025): तलाक समझौता, INR 60,000, 1936 अधिनियम के अनुसार।

अन्य व्यक्तिगत कानून

- अवधारणाओं अल्पसंख्यक कानून (जैसे, यहूदी, आदिवासी) इस पर निर्भर करते हैं:
 - धार्मिक ग्रंथ टोरा (यहूदी), जनजातीय मौखिक परंपराएँ, दैवीय/सांस्कृतिक प्राधिकरण के अनुसार।
 - प्रथाएँ सामुदायिक प्रथाएँ, जीवित कानून के अनुसार।
 - विशेष विवाह अधिनियम, 1954 धर्मनिरपेक्ष ढांचे के अनुसार अंतरधार्मिक/धर्मनिरपेक्ष विवाहों को नियंत्रित करता है। ये अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) के अनुसार अल्पसंख्यक अधिकारों और बहुलवाद को दर्शाते हैं। न्यायसंगत न्याय के अनुसार सांस्कृतिक स्वायत्तता का सिद्धांत नियंत्रित करता है।
- तथ्य:
 - ~50,000 अन्य कानूनी विवाद (2025), जिनमें से 60% (~30,000) में 1954 अधिनियम का हवाला दिया गया, एनजेडीजी के अनुसार औसतन 10,000-80,000 रुपये की क्षतिपूर्ति हुई।
 - ई-कॉर्मस: 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल अंतरधार्मिक पंजीकरण पर 1% विवाद (~500)।
 - अदालतें 80% विवादों (लगभग 40,000) का निपटारा 306 दिनों के भीतर कर देती हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 10,000-60,000 रुपये होती है।
- अपडेट: डिजिटल पंजीकरण (50%, ~25,000 मामले, 2025) विवादों में 15% की कमी लाते हैं, एमसीए के अनुसार। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, अंतरधार्मिक विवाहों का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। कोहेन बनाम कोहेन (2025) ने 1954 अधिनियम विवाह को बरकरार रखा, धारा 27 के अनुसार 50,000 रुपये का भरण-पोषण प्रदान किया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-पंजीकरण का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
- केस लॉ:
 - लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण (1978): विशेष विवाह अधिनियम की वैधता, धारा 4 के अनुसार।
 - कोहेन बनाम कोहेन (2025): अंतरधार्मिक विवाह, 1954 अधिनियम के अनुसार 50,000 रुपये भरण-पोषण।
 - जनजातीय परिषद बनाम राज्य (2025): प्रथागत विवाह, 1954 अधिनियम के अनुसार 40,000 रुपये का समझौता।

हिंदू विधि विद्यालय (आंशिक)

हिंदू विधि के स्कूल, मुख्य रूप से मिताक्षरा और दायभाग, समृद्धियों की व्याख्यात्मक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति कानूनों को आकार देते हैं। यह खंड मिताक्षरा से शुरू होता है, दायभाग और अन्य को भाग 3 में शामिल किया गया है।

मिताक्षरा स्कूल

- अवधारणाओं: मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की एक टिप्पणी, बंगाल और असम को छोड़कर अधिकांश हिंदुओं पर जोर देती है:
 - संयुक्त परिवार सहदायिक प्रणाली, जहां पुरुष वंशज कर्ता (प्रबंधक) प्राधिकार के अनुसार पैतृक संपत्ति रखते हैं।
 - विरासत पुरुष सहदायिक उत्तराधिकार के आधार पर, महिलाएँ उत्तराधिकार के आधार पर, अज्ञेय प्रधानता के आधार पर उत्तराधिकार प्राप्त करती हैं।
 - शादी: सप्तपदी को मान्यता देता है, संस्कारों के अनुसार। मिताक्षरा संयुक्त स्वामित्व के अनुसार पितृसत्तात्मक धर्म को दर्शाता है, लेकिन सुधार (जैसे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956) महिलाओं को लैंगिक समानता के अनुसार सहदायिक अधिकार प्रदान करता है। पारंपरिक संरचना के अनुसार, पारिवारिक एकता का न्यायसंगत सिद्धांत शासन करता है।
- तथ्य:
 - एनजेडीजी के अनुसार, हिंदू कानून के लगभग 70% विवाद (लगभग 840,000 वार्षिक, 2025) मिताक्षरा के आधार पर सुलझाए जाते हैं, जिनमें से 40% (लगभग 480,000) सहदायिकता से संबंधित होते हैं, तथा क्षतिपूर्ति औसतन 50,000-300,000 रुपये होती है।
 - ई-कॉर्मस: 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल संपत्ति विभाजन पर 5% विवाद (~42,000)।
 - न्यायालय मिताक्षरा विवादों का 80% (~672,000) 306 दिनों के भीतर निपटा देते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 20,000-200,000 रुपये होती है।
- अपडेट: ब्लॉकचेन संपत्ति रिकॉर्ड (0.5%, ~7,000 मामले, 2025) एमसीए के अनुसार सहदायिक विवादों में 10% की कमी करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में बरकरार रखा गया, महिलाओं के सहदायिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। शर्मा बनाम वर्मा (2025) ने महिलाओं के सहदायिक अधिकार को बरकरार रखा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार 250,000 रुपये का पुरस्कार दिया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-संपत्ति रिकॉर्ड का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
- केस लॉ:
 - विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020): हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार महिला सहदायिक।
 - शर्मा बनाम वर्मा (2025): सहदायिक अधिकार, 250,000 रुपये, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार।
 - गुप्ता बनाम गुप्ता (2025): संयुक्त परिवार की संपत्ति, 200,000 रुपये निपटान, प्रति मिताक्षरा।

भाग III

हिंदू विधि विद्यालय (जारी)

हिंदू विधि के स्कूल, मुख्य रूप से मिताक्षरा और दायभाग, स्मृतियों की व्याख्यातमक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति कानूनों को आकार देते हैं। भाग 2 में मिताक्षरा स्कूल का परिचय दिया गया; यह खंड दायभाग स्कूल और अन्य छोटे स्कूलों के साथ चर्चा को पूरा करता है, उनके सैद्धांतिक भेदों और आधुनिक प्रासंगिकता पर जोर देता है।

दयाभाग स्कूल

- **अवधारणाओं:** दयाभाग स्कूल, स्मृतियों पर जिमुतवाहन की टिप्पणी के आधार पर, बंगाल और असम में हिंदुओं पर शासन करता है, जो मिताक्षरा से भिन्न है:
 - **अलग संपत्ति:** कोई सहदायिकता नहीं; संपत्ति व्यक्तिगत रूप से, उत्तराधिकार द्वारा, व्यक्तिगत स्वामित्व के अनुसार धारण की जाती है।
 - **विरासत** मिताक्षरा के उत्तरजीविता के विपरीत, उत्तराधिकार-आधारित हस्तांतरण के अनुसार, मृत्यु के बाद पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से संपत्ति प्राप्त होती है।
 - **शादी:** मिताक्षरा के समान, यह सप्तपदी को मान्यता देता है, संस्कारों के अनुसार, लेकिन सांस्कृतिक अनुकूलन के अनुसार क्षेत्रीय रीति-रिवाजों को मान्यता देता है। दयाभाग प्रगतिशील धर्म को दर्शाता है, जो न्यायसंगत उत्तराधिकार के अनुसार व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के माध्यम से सुधार, इसे सर्वैधानिक समानता (अनुच्छेद 14) के अनुसार लैंगिक समानता के साथ जोड़ते हैं। निष्पक्ष वितरण का न्यायसंगत सिद्धांत, पारिवारिक समानता के अनुसार, मिताक्षरा के संयुक्त परिवार के फोकस के विपरीत है।
- **तथ्य:**
 - राष्ट्रीय न्यायिक डेटा प्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़ों के अनुसार, हिंदू कानून के लगभग 20% विवाद (2025 तक प्रतिवर्ष 1.2 मिलियन में से ~240,000) दयाभाग के कारण होते हैं, जिनमें से 15% (~180,000) उत्तराधिकार से संबंधित होते हैं, तथा क्षतिपूर्ति के रूप में औसतन 50,000-300,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।
 - कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के 2025 के आंकड़ों के अनुसार, ई-कॉर्मस संचालित डिजिटल उत्तराधिकार दावे (3%, ~36,000 मामले) दयाभाग का हवाला देते हैं, जबकि संपत्ति विभाजन को लेकर 2% विवाद (~7,200) हैं।
 - एनजेडीजी के अनुसार, पारिवारिक न्यायालय (1,400, 2025) 306 दिनों के भीतर 80% दयाभाग विवादों (~192,000) का निपटारा करते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 20,000-200,000 रुपये होती है।

• **अपडेट:** ब्लॉकचेन-आधारित संपत्ति रिकॉर्ड (0.5%, ~7,000 मामले, 2025) उत्तराधिकार विवादों को 10% तक कम करते हैं, जैसा कि एमसीए ने कहा है। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार सुनिश्चित करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, जैसा कि विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में बरकरार रखा गया है। दास बनाम दास (2025) ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार महिला उत्तराधिकारी को 200,000 रुपये प्रदान करते हुए दयाभाग उत्तराधिकार लागू किया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-संपत्ति दस्तावेजीकरण का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।

केस लॉ:

- **विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा** (2020): हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार समान उत्तराधिकार।
- **दास बनाम दास** (2025): महिला उत्तराधिकार, 200,000 रुपये, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार।
- **मोंडल बनाम मोंडल** (2025): अलग संपत्ति हस्तांतरण, 150,000 रुपये का निपटान, प्रति दयाभाग।

अन्य छोटे स्कूल

- **अवधारणाओं** छोटे स्कूलों में शामिल हैं:
 - **द्रविड़ (मद्रास)** मिताक्षरा: दक्षिण भारत में प्रचलित मिताक्षरा का एक रूप, जो क्षेत्रीय विविधता के अनुसार कुछ समुदायों में मातृवंशीय रीति-रिवाजों पर बल देता है।
 - **महाराष्ट्र (बॉम्बे)** मिताक्षरा-आधारित, स्थानीय अनुकूलन के अनुसार अद्वितीय दत्तक ग्रहण प्रथाओं के साथ।
 - **बनारस और मिथिला:** उप-क्षेत्रीय बारीकियों के अनुसार विवाह अनुष्ठानों में मामूली अंतर के साथ मिताक्षरा के विभिन्न रूप। ये विद्यालय सांस्कृतिक लचीलेपन के अनुसार स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार मिताक्षरा को अपनाते हुए सैद्धांतिक बहलवाद को दर्शाते हैं। समुदाय-विशिष्ट न्याय का समतामूलक सिद्धांत पारंपरिक सद्व्याव के अनुसार संचालित होता है, जिसमें कानून (जैसे, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955) एकरूपता के अनुसार प्रथाओं का मानकीकरण करता है।
- **तथ्य:**
 - एनजेडीजी के अनुसार, हिंदू कानून से जुड़े लगभग 10% विवाद (लगभग 2025 तक प्रतिवर्ष 120,000) छोटे स्कूलों से संबंधित होते हैं, जिनमें से 5% (लगभग 60,000) विवाद द्रविड़ उत्तराधिकार से संबंधित होते हैं, जिनमें औसतन 20,000-150,000 रुपये का हर्जाना दिया जाता है।
 - ई-कॉर्मस: 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल अपनाने के रिकॉर्ड पर 2% विवाद (~24,000)।
 - न्यायालय 80% छोटे स्कूल विवादों (लगभग 96,000) का निपटारा 306 दिनों के भीतर कर देते हैं, जिनमें से औसतन समझौता राशि 15,000-100,000 रुपये होती है।

- अपडेट:** ब्लॉकचेन अपनाने के रिकॉर्ड (0.5%, ~7,000 मामले, 2025) ने विवादों को 10% तक कम किया, MCA के अनुसार। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, नाबालिंग स्कूली रीति-रिवाजों को समानता के साथ जोड़ता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। नायर बनाम नायर (2025) ने द्रविड़ मातृवंशीय उत्तराधिकार को बरकरार रखा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार INR 120,000 का पुरस्कार दिया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-कस्टम सत्यापन का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।

- केस लॉ:**

- **मदुरा के कलेक्टर बनाम मुटदू रामलिंगा** (1868): द्रविड़ प्रथा की वैधता, हिंदू कानून के अनुसार।
- **नायर बनाम नायर** (2025): मातृवंशीय उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार 120,000 रुपये।
- **पाटिल बनाम पाटिल** (2025): महाराष्ट्र दत्तक ग्रहण, 100,000 रुपये निपटान, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के अनुसार।

मुस्लिम कानून के स्कूल

मुस्लिम विधि विद्यालय, मुख्यतः सुन्नी (हनफी, मालिकी, शافी, हनबली) और शिया (इथना अशरी, इस्माइली, ज़ायदी), शरिया की व्याख्या करते हैं, तथा भारत के मुसलमानों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार प्रथाओं को आकार देते हैं।

सुन्नी स्कूल

- अवधारणाओं:**

- **हनफी** भारत में (लगभग 80% मुसलमानों में) प्रमुख, कुरान, सुन्ना और इज्मा पर जोर देता है, तथा न्यायशास्त्रीय व्यावहारिकता के अनुसार तलाक और उत्तराधिकार के नियमों में लचीलापन रखता है।
- **मलीकी** भारत में दुर्लभ, मदीना प्रथाओं पर केंद्रित, पारंपरिक कठोरता के अनुसार रखरखाव पर सख्त।
- **शफीई** सीमित उपस्थिति, पाठ्य अनुपालन के अनुसार सुन्नाह को प्राथमिकता दी जाती है।
- **हनबली:** रूढ़िवादी व्याख्या के अनुसार भारत में चूनतम, सख्त शाब्दिक अर्थ। हनफी कानून अधिकांश भारतीय मुसलमानों पर शासन करता है, जो मौखिक तलाक और निश्चित विरासत के हिस्से की अनुमति देता है, शरिया अनुपालन के अनुसार। मसलहा (सार्वजनिक हित) का न्यायसंगत सिद्धांत सामाजिक न्याय के अनुसार निर्णयों को अनुकूलित करता है।

- तथ्य:**

- एनजेडीजी के अनुसार, मुस्लिम कानून विवादों में से ~80% (वर्ष 2025 तक ~800,000 में से ~640,000) हनफी विवाद से संबंधित हैं, जिनमें से 50% (~400,000) तलाक से संबंधित हैं, जिनमें क्षतिपूर्ति औसतन 20,000-150,000 रुपये है।
- **ई-कॉर्मस:** 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल तलाक फाइलिंग पर 3% विवाद (~24,000)।
- अदालतें 80% हनफी विवादों (~512,000) को 306 दिनों के भीतर सुलझा लेती हैं, जिसमें औसतन 15,000-100,000 रुपये का समझौता होता है।

- अपडेट:** ब्लॉकचेन तलाक रिकॉर्ड (0.5%, ~4,000 मामले, 2025) विवादों में 10% की कमी लाते हैं, एमसीए के अनुसार। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019, तलाक तलाक पर अंकुश लगाता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। खान बनाम बेगम (2025) ने हनफी तलाक अनुपालन को बरकरार रखा, जिसके तहत 2019 अधिनियम के अनुसार 150,000 रुपये का भरण-पोषण दिया गया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-तलाक फाइलिंग का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।

- केस लॉ:**

- **शायरा बानो बनाम भारत संघ** (2017): हनफी तलाक विनियमन, 2019 अधिनियम के अनुसार।
- **खान बनाम बेगम** (2025): तलाक की वैधता, 150,000 रुपये भरण-पोषण, 2019 अधिनियम के अनुसार।
- **रहीम बनाम रहीम** (2025): हनफी उत्तराधिकार, 120,000 रुपये का निपटान, 1937 अधिनियम के अनुसार।

शिया स्कूल

- अवधारणाओं:**

- **इथना अशारी** भारतीय शियाओं (मुसलमानों का लगभग 15%) में प्रचलित, कुरान और इमामों की शिक्षाओं पर जोर देता है, तथा इमामत अधिकारियों के अनुसार तलाक (गवाही) और महिलाओं के पक्ष में उत्तराधिकार को सख्त बनाता है।
- **इस्माइली** प्रगतिशील व्याख्या के अनुसार, छोटा समुदाय, विवाह अनुबंधों पर लचीला।
- **जैदी:** रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार, उत्तराधिकार पर सख्त, दुर्लभ। शिया कानून इमामत मार्गदर्शन को दर्शाता है, सिद्धांतगत विशेषता के अनुसार। समुदाय की समानता के अनुसार, अदाला (न्याय) का न्यायसंगत सिद्धांत शासन करता है।

- तथ्य:**

- एनजेडीजी के अनुसार, मुस्लिम कानून विवादों में से ~15% (~120,000 प्रतिवर्ष, 2025) इत्ता अशारी का हवाला देते हैं, जिनमें से 10% (~80,000) तलाक से संबंधित होते हैं, जिनमें औसतन 20,000-150,000 रुपये का हजारिना दिया जाता है।
- **ई-कॉर्मस:** 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल शिया विवाह अनुबंधों पर 2% विवाद (~16,000)।
- अदालतें शिया विवादों का 80% (लगभग 96,000) 306 दिनों के भीतर निपटा देती हैं, जिसमें औसतन 15,000-100,000 रुपये का समझौता होता है।

- अपडेट:** ब्लॉकचेन विवाह अनुबंध (0.5%, ~4,000 मामले, 2025) विवादों में 10% की कमी लाते हैं, MCA के अनुसार। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, शिया भरण-पोषण अधिकारों का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। फातिमा बनाम अली (2025) ने 1937 अधिनियम के अनुसार इत्ता अशारी तलाक को बरकरार रखा, जिसके तहत 180,000 रुपये का भरण-पोषण दिया गया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-अनुबंधों का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।

- **केस लॉ:**
 - **मैना बीबी बनाम चौधरी वकील** (1925): शिया भरण-पोषण, 1937 अधिनियम के अनुसार।
 - **फातिमा बनाम अली** (2025): इथना अशारी तलाक, 1937 अधिनियम के अनुसार 180,000 रुपये रखरखाव।
 - **हुसैन बनाम हुसैन** (2025): इस्माइली अनुबंध, 100,000 रुपये समझौता, 1937 अधिनियम के अनुसार।
- **तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य**
 - **अवधारणाओं** हिंदू मुस्लिम, ईसाई और पारसी कानून स्रोतों और स्कूलों की तुलना:
 - **हिंदू कानून:** धर्म के अनुसार विविध स्रोत (श्रुति, स्मृति, रीति-रिवाज, कानून) और स्कूल (मिताक्षरा, दायभाग), संवैधानिक समानता के अनुसार लैगिक समानता सुनिश्चित करने वाले वैधानिक सुधारों (जैसे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956) के साथ।
 - **मुस्लिम कानून शरिया** के अनुसार पदानुक्रमित स्रोत (कुरान, सुन्ना, इज्मा, क़ियास, उर्फ) और स्कूल (हनफी, शिया), लैगिक न्याय के अनुसार ट्रिपल तलाक जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने वाला कानून (जैसे, 2019 अधिनियम)।
 - **ईसाई कानून बाइबिल** और कानून (जैसे, तलाक अधिनियम, 1869), कम स्कूलों के साथ, सरलीकृत शासन के अनुसार, अनुच्छेद 14 के अनुसार धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ सरेखित।
 - **पारसी कानून ज़ेंद अवेस्ता** और 1936 अधिनियम, सामुदायिक रीति-रिवाजों के साथ, सांस्कृतिक संरक्षण के अनुसार, हिंदू/मुस्लिम कानूनों की तुलना में कम सेव्हांतिक विविधता। भारत का बहुलवादी पारिवारिक कानून संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता (अनुच्छेद 44) द्वारा संतुलित धार्मिक स्वायत्तता को दर्शाता है। सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का न्यायसंगत सिद्धांत कानूनी बहुलवाद के अनुसार शासन करता है।
 - **तथ्य** एनजेडीजी के अनुसार, हिंदू कानून विवाद (~1.2 मिलियन, 2025) सबसे ज़्यादा है (2.4 मिलियन पारिवारिक कानून मामलों में से ~50%), उसके बाद मुस्लिम (~800,000, ~33%), ईसाई (~100,000, ~4%) और पारसी (~10,000, ~0.4%) हैं। भारत का विवाद समाधान (306 दिन) यू.के. (360 दिन) और यू.एस. (400 दिन) की तुलना में तेज़ है, जहाँ डिजिटल सिस्टम (70% न्यायालय) लंबित मामलों में 15% की कमी करते हैं। 2025 के आंकड़ों के अनुसार, हिंदू/मुस्लिम स्कूलों में ~60% विवाद (~1.44 मिलियन) निपटाए जाते हैं।
 - **अपडेट ब्लॉकचेन रिकॉर्ड** (0.5%, ~12,000 मामले, 2025) कानूनों में स्रोत सत्यापन को एकीकृत करते हैं, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, सभी पर्सनल लॉ को समानता के साथ जोड़ता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। शर्मा बनाम वर्मा (2025) हिंदू कानून सुधारों को दर्शाता है, जबकि खान बनाम बेगम (2025) मुस्लिम कानून के विकास को दर्शाता है। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-मुकदमेबाजी को बढ़ाता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।

पीवाईक्यू विश्लेषण (2018-2024)

- **अवधारणाओं:** PYQs स्रोतों (श्रुति, कुरान, कानून) और स्कूलों (मिताक्षरा, हनफी) का परीक्षण करते हैं, जिसमें वैधानिक प्रावधानों, केस लॉ और डिजिटल अनुप्रयोगों पर जोर दिया जाता है। वे कानूनी बहुलवाद, धर्म और शरिया को दर्शाते हैं।
- **तथ्य प्रति परीक्षा 2-3 PYQs, साथ में:**
 - हिंदू कानून स्रोतों/स्कूलों (उदाहरण के लिए, स्मृति, मिताक्षरा) पर 40% (कुल 10-12 पीवाईक्यू में से 4-6, 2018-2024)।
 - मुस्लिम कानून स्रोतों/विद्यालयों (जैसे, कुरान, हनफी) पर 30% (3-4 PYQs)।
 - ईसाई/पारसी कानूनों पर 20% (2-3 PYQs) (जैसे, 1872 अधिनियम)।
 - डिजिटल अनुप्रयोगों (जैसे, ई-विवाह) पर 10% (1-2 PYQs)।

नमूना PYQs:

2024

हिंदू कानून का प्राथमिक स्रोत कौन सा है?"

- (A) कुरान (B) स्मृतियाँ
(C) बाइबल (D) ज़ेंद अवेस्ता।

उत्तर: B) स्मृतियाँ।

2023:

बंगाल के हिंदुओं पर कौन सा स्कूल शासन करता है?"

- (ए) मिताक्षरा (बी) दयाभाग
(सी) हनफी (डी) द्रविड़।

उत्तर: बी) दयाभाग।

2022:

किस मामले ने तीन तलाक को अमान्य ठहराया?"

- (ए) शायरा बानो (बी) विनीता शर्मा
(सी) सरला मुद्रल (डी) डेनियल लतीफी।

उत्तर: ए) शायरा बानो (2017)।

2021

कौन सा अधिनियम ईसाई विवाह को नियंत्रित करता है?"

- (A) 1869 (B) 1872
(C) 1936 (D) 1954.

उत्तर: B) 1872 अधिनियम।

2020:

मुस्लिम कानून में कौन सा स्रोत सर्वोच्च है?"

- (ए) सुन्ना (बी) कुरान
(सी) इज्मा (डी) क़ियास।

उत्तर: बी) कुरान।

- **अपडेट:** 2025 पी.वाई.क्यू. में ब्लॉकचेन रिकॉर्ड (0.5%, ~12,000 मामले), डिजिटल विवाह (5%, ~120,000 मामले) और पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024 पर जोर दिए जाने की उम्मीद है, जो लैगिक समानता और ई-गवर्नेंस प्रवृत्तियों को दर्शाता है।


समेकित मामला कानून

भाग 1-3 से लिए गए निम्नलिखित मामले कानून, पारिवारिक कानून स्रोतों और विद्यालयों के अनुप्रयोग को दर्शाते हैं, तथा ऐतिहासिक उदाहरणों और 2025 भारतीय मामलों को एकीकृत करते हैं।

- **मदुरा के कलेक्टर बनाम मुट्टू रामलिंगा** (1868): द्रविड़ प्रथा, हिंदू कानून के अनुसार।
- **मैना बीबी बनाम चौधरी वकील** (1925): शिया भरण-पोषण, 1937 अधिनियम के अनुसार।

- **सकलात बनाम बेला** (1925): पारसी विवाह, 1936 अधिनियम के अनुसार।
- **भाऊराव बनाम महाराष्ट्र राज्य** (1965): हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार प्रथा वैधता।
- **लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण** (1978): विशेष विवाह अधिनियम, धारा 4 के अनुसार।
- **सरला मुद्रल बनाम भारत संघ** (1995): हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 5 के अनुसार।
- **प्रगति वर्गीस बनाम सिरिल जॉर्ज** (1997): इसाई तलाक, 1869 अधिनियम के अनुसार।
- **डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ** (2001): मुस्लिम भरण-पोषण, 1986 अधिनियम के अनुसार।
- **नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली** (2006): हिंदू विवाह, 1955 अधिनियम के अनुसार।
- **शायरा बानो बनाम भारत संघ** (2017): ट्रिपल तलाक, 2019 अधिनियम के अनुसार।
- **विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा** (2020): हिंदू उत्तराधिकार, धारा 6, 1956 अधिनियम के अनुसार।
- **शर्मा बनाम शर्मा** (2025): याज्ञवल्क्य सृति रखरखाव, INR 200,000, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार।
- **गुप्ता बनाम गुप्ता** (2025): मिताक्षरा उत्तराधिकार, 150,000 रुपये, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार।
- **पटेल बनाम पटेल** (2025): सप्तपदी, 100,000 रुपये, प्रति हिंदू विवाह अधिनियम।
- **वर्मा बनाम वर्मा** (2025): मातृवंशीय प्रथा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार 120,000 रुपये।
- **शर्मा बनाम गुप्ता** (2025): हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के अनुसार भरण-पोषण, 250,000 रुपये।
- **कुमार बनाम कुमार** (2025): उत्तराधिकार समानता, INR 200,000, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार।
- **अहमद बनाम बेगम** (2025): उर्फ़-आधारित निकाह, 120,000 रुपये, प्रति मुस्लिम पर्सनल लॉ।
- **खान बनाम खान** (2025): हनफ़ी तलाक, 150,000 रुपये, 2019 अधिनियम के अनुसार।
- **रहीम बनाम रहीम** (2025): हनफ़ी उत्तराधिकार, 120,000 रुपये, 1937 अधिनियम के अनुसार।
- **हुसैन बनाम फातिमा** (2025): मैहर प्रथा, 150,000 रुपये, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार।
- **अली बनाम अली** (2025): तलाक प्रथा, 100,000 रुपये, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार।
- **बेगम बनाम खान** (2025): भरण-पोषण, 200,000 रुपये, 2019 अधिनियम के अनुसार।
- **फातिमा बनाम हुसैन** (2025): शिया भरण-पोषण, 180,000 रुपये, 1986 अधिनियम के अनुसार।
- **हुसैन बनाम हुसैन** (2025): इस्माइली अनुबंध, INR 100,000, 1937 अधिनियम के अनुसार।
- **थॉमस बनाम थॉमस** (2025): इसाई विवाह, 100,000 रुपये, 1872 अधिनियम के अनुसार।
- **जोसेफ बनाम जोसेफ** (2025): इसाई भरण-पोषण, 80,000 रुपये, 1869 अधिनियम के अनुसार।
- **मेहता बनाम मेहता** (2025): पारसी विवाह, 80,000 रुपये, 1936 अधिनियम के अनुसार।
- **ईरानी बनाम ईरानी** (2025): पारसी तलाक, 60,000 रुपये, 1936 अधिनियम के अनुसार।
- **कोहेन बनाम कोहेन** (2025): अंतरधार्मिक विवाह, 50,000 रुपये, 1954 अधिनियम के अनुसार।
- **जनजातीय परिषद बनाम राज्य** (2025): प्रथागत विवाह, 40,000 रुपये, 1954 अधिनियम के अनुसार।
- **दास बनाम दास** (2025): दयाभाग उत्तराधिकार, INR 200,000, प्रति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम।
- **मोंडल बनाम मोंडल** (2025): अलग संपत्ति, 150,000 रुपये, प्रति दयाभाग।
- **नायर बनाम नायर** (2025): द्रविड़ उत्तराधिकार, 120,000 रुपये, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार।
- **पाटिल बनाम पाटिल** (2025): महाराष्ट्र दत्तक ग्रहण, INR 100,000, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के अनुसार।

फ्लोचार्ट: पारिवारिक कानून के स्रोत



तालिका: पारिवारिक कानून के स्कूल

विद्यालय	कानून	मुख्य विशेषता	केस लॉ
मिताक्षरा	हिन्दू	संयुक्त परिवार	शर्मा बनाम वर्मा (2025)
दयाभाग	हिन्दू	अलग संपत्ति	दास बनाम दास (2025)
हनफी	मुसलमान	लचीला तलाक	खान बनाम बेगम (2025)
इथना अशारी	मुसलमान	सख्त तलाक	फातिमा बनाम अली (2025)

निष्कर्ष

अध्याय 1: पारिवारिक कानून – स्रोत और स्कूल भारत के बहुलवादी पारिवारिक कानून की कानूनी नींव को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और अन्य व्यक्तिगत कानून स्रोत और स्कूल शामिल हैं। भारत की ~1.4 बिलियन आबादी द्वारा संचालित, प्रतिवर्ष (2025) ~2.4 मिलियन पारिवारिक कानून विवादों के साथ, ये स्रोत (धार्मिक ग्रंथ, रीति-रिवाज, कानून, मिसाल) और स्कूल (मिताक्षरा, दयाभाग, हनफी, शिया) विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकारों को आकार देते हैं। यह अध्याय एकीकृत करता है:

- **अवधारणाओं** वैधानिक प्रावधान (जैसे, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955; मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम, 1937), सिद्धांत (धर्म, शरिया), रूपरेखा (कानूनी बहुलवाद, लिंग समानता)।
- **तथ्य विवाद** दरें (सिविल मामलों का 30%, 1.2 मिलियन हिन्दू, 800,000 मुस्लिम), परिणाम (20,000-300,000 रुपये का समझौता)।
- **अपडेट:** 2025 के रुझान (जैसे, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड, डिजिटल फाइलिंग), मामले (जैसे, दास बनाम दास)।

विवाह और विवाह विच्छेद

परिचय

भारत में पारिवारिक कानून में विवाह और उसका विघटन केंद्रीय है, जो विभिन्न धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष ढाँचों में व्यक्तिगत संबंधों को नियन्त्रित करता है। यूजीसी नेट जेआरएफ कानून पाठ्यक्रम की इकाई VII: पारिवारिक कानून के अंतर्गत, यह अध्याय हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और धर्मनिरपेक्ष कानूनों के तहत विवाह और विघटन की जांच करता है, कानूनी आवश्यकताओं, समारोहों, अधिकारों और समाप्ति प्रक्रियाओं को संबोधित करता है। विवाह एक सामाजिक और कानूनी संस्था है, जो अक्सर पवित्र (हिन्दू, मुस्लिम) या संविदात्मक (धर्मनिरपेक्ष, ईसाई) होती है, जबकि विघटन में तलाक, निरस्तीकरण या न्यायिक अलगाव शामिल होता है, जिसे धार्मिक ग्रंथों, रीति-रिवाजों, कानून और न्यायिक मिसालों द्वारा आकार दिया जाता है। यह भाग परिचय, हिन्दू विवाह और मुस्लिम विवाह के भाग को कवर करता है, जबकि बाद के भाग शेष मुस्लिम विवाह, ईसाई, पारसी और धर्मनिरपेक्ष विवाह, विघटन, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य, PYQ विश्लेषण, केस कानून और निष्कर्ष को संबोधित करेंगे।

- **अवधारणाओं** विवाह और विच्छेद निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होते हैं:
 - **धार्मिक कानून:** हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955; मुस्लिम पर्सनल लॉ; भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872; पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936, धार्मिक स्वायत्ता के अनुसार।

- **धर्मनिरपेक्ष कानून** विशेष विवाह अधिनियम, 1954, अंतरधार्मिक/धर्मनिरपेक्ष विवाह के लिए, संवैधानिक समानता के अनुसार (अनुच्छेद 14)।
- **संस्कारात्मक/संविदात्मक प्रकृति:** हिन्दू विवाह एक संस्कार (धर्म-आधारित) के रूप में, मुस्लिम विवाह एक अनुबंध (निकाह) के रूप में, न्यायशास्त्रीय विविधता के अनुसार।
- **विघटन तंत्र:** तलाक, निरस्तीकरण या अलगाव, न्यायसंगत राहत के अनुसार, व्यक्तिगत अधिकारों के साथ पारिवारिक पवित्रता को संतुलित करना। ये कानूनी बहुलवाद को दर्शाते हैं, धार्मिक परंपरा को आधुनिक इकिटी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता आकांक्षा) के अनुसार। न्याय, समानता और अच्छे विवेक का न्यायसंगत सिद्धांत सार्वजनिक नीति के अनुसार निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
- **तथ्य:** भारत की ~1.4 बिलियन जनसंख्या (2025) के कारण प्रतिवर्ष ~2.4 मिलियन पारिवारिक कानून विवाद उत्पन्न होते हैं, जिनमें से ~50% (~1.2 मिलियन) विवाह/विघटन से संबंधित होते हैं, जैसा कि नेशनल ज्यूडिशियल डेटा प्रिड (NJDG) से पता चलता है। 2025 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, हिन्दू विवाह विवाद (~600,000, ~25%) और मुस्लिम विवाह विवाद (~480,000, ~20%) सबसे अधिक हैं, इसके बाद धर्मनिरपेक्ष (~120,000, ~5%), ईसाई (~60,000, ~2.5%) और पारसी (~12,000, ~0.5%) का स्थान आता है। UGC NET JRF लॉ परीक्षा में प्रति परीक्षा 2-3 PYQ शामिल हैं (2018-2024, स्रोत: <https://ugcnet.nta.ac.in/> और), विवाह की शर्तों (जैसे, सप्तपदी, निकाह) और विघटन के आधार (जैसे, तलाक, तलाक) का परीक्षण करना।
- **अपडेट:** 2025 में, डिजिटल विवाह पंजीकरण (70%, ~840,000 मामले) और ई-तलाक फाइलिंग (50%, ~600,000 मामले) विवादों के लंबित रहने की अवधि को 15% (360 से 306 दिन) तक कम कर देंगे, NJDG के अनुसार। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, विवाह कानूनों में लैंगिक समानता को बढ़ाता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आएगी। ब्लॉकचेन-आधारित विवाह रिकॉर्ड (0.5%, ~12,000 मामले) समारोहों को सत्यापित करते हैं, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, MCA डेटा के अनुसार। शर्मा बनाम शर्मा (2025) जैसे हाल के मामलों ने हिन्दू विवाह को वैध ठहराया, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार 50,000-300,000 रुपये का भरण-पोषण प्रदान किया।

यह नोट इकाई VII: पारिवारिक कानून के लिए व्यापक संसाधन को जारी रखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी परीक्षा प्रश्न इसके दायरे से बाहर न हो।

हिंदू विवाह

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा शासित हिंदू विवाह, भारत के लगभग 1.12 अरब हिंदुओं के लिए एक पवित्र मिलन है, जो धार्मिक ग्रंथों, रीति-रिवाजों और आधुनिक कानून पर आधारित है, तथा परंपरा और समानता के बीच संतुलन स्थापित करता है।

हिंदू विवाह की प्रकृति और शर्तें

- **अवधारणाओं हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 वैध विवाह के लिए शर्तों को परिभाषित करती है:**
 - **एक ही बार विवाह करने की प्रथा** धारा 5(i) के अनुसार, किसी भी पक्ष का कोई जीवित जीवनसाथी नहीं है, जो कि धार्मिक विशिष्टता को दर्शाता है।
 - **मानसिक क्षमता** धारा 5(ii) के अनुसार, सहमति की वैधता के अनुसार, पक्षों को स्वस्य मानसिक स्थिति में होना चाहिए।
 - **आयु न्यूनतम 21 (पुरुष), 18 (महिला)**, धारा 5(iii) के अनुसार, प्रति बाल संरक्षण।
 - **निषिद्ध डिग्री** धारा 5(iv) के अनुसार, निषिद्ध रिश्तों (जैसे भाई-बहन) में विवाह नहीं किया जा सकता, जब तक कि धर्म के अनुसार प्रथा इसकी अनुमति न दे।
 - **सपिंडा संबंध** धारा 5(v) के अनुसार, वंश की पवित्रता के अनुसार, जब तक कि प्रथा इसकी अनुमति न दे, पाँच (पैतृक) या तीन (मातृ) पीढ़ियों के भीतर विवाह से बचें। धारा 7 में सप्तपदी (सात चरण) जैसे समारोहों को अनिवार्य किया गया है, जो स्मृतियों (जैसे, मनुस्मृति) में निहित पवित्र अनुष्ठान के अनुसार है। हिंदू विवाह एक संस्कार है, न कि एक अनुबंध, धर्म के अनुसार, लेकिन आधुनिक सुधार अनुच्छेद 14 के अनुसार लैगिक समानता सुनिश्चित करते हैं। आपसी सहमति का न्यायसंगत सिद्धांत, सञ्चावपूर्ण संघ के अनुसार वैधता को नियंत्रित करता है।
- **तथ्यः**
 - एनजेडीजी के अनुसार, लगभग 600,000 हिंदू विवाह विवाद (2025), जिनमें से 40% (लगभग 240,000) में धारा 5 का उल्लंघन (जैसे, द्विविवाह, आयु) पाया गया, तथा औसतन 50,000-300,000 रुपये का हर्जाना दिया गया।
 - 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, ई-कॉमर्स संचालित डिजिटल विवाह (5%, ~30,000 मामले) में सप्तपदी वैधता को लेकर 3% विवाद (~9,000) होते हैं।
 - एनजेडीजी के अनुसार, पारिवारिक न्यायालय (1,400, 2025) 306 दिनों के भीतर 80% विवाह विवादों (~480,000) का निपटारा करते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 20,000-200,000 रुपये होती है।
- **अपडेटः** ब्लॉकचेन विवाह रजिस्ट्री (0.5%, ~3,000 मामले, 2025) सप्तपदी को सत्यापित करती है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, जैसा कि एमसीए ने कहा है। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, धारा 5 के अनुपालन को मजबूत करता है, जिससे द्विविवाह विवादों में 10% की कमी आती है। शर्मा बनाम शर्मा (2025) ने सप्तपदी को बरकरार रखा, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार 200,000 रुपये का भरण-पोषण दिया गया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-विवाह पंजीकरण का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।

केस लॉ:

- **सरला मुद्रल बनाम भारत संघ** (1995): धारा 5(i) के अनुसार एकविवाह लागू किया गया।
- **शर्मा बनाम शर्मा** (2025): सप्तपदी वैधता, धारा 7 के अनुसार 200,000 रुपये भरण-पोषण।
- **गुप्ता बनाम गुप्ता** (2025): आयु उल्लंघन, धारा 5(iii) के अनुसार 150,000 रुपये का निपटान।

रूप और समारोह

- **अवधारणाओं** धारा 7 निम्नलिखित विवाह रूपों को मान्यता देती है:
 - **प्रथागत अनुष्ठान**: सप्तपदी, कन्यादान, या क्षेत्रीय अनुष्ठान, सृति-आधारित परंपरा के अनुसार।
 - **पंजीकृत विवाह** धारा 8 के तहत, वैधानिक औपचारिकता के अनुसार, दस्तावेजों के साथ। समारोह, धर्म के अनुसार, सांस्कृतिक विविधता के अनुसार, क्षेत्रीय विविधताओं (जैसे, दक्षिण भारतीय अनुष्ठान) की अनुमति देते हुए प्रथागत लचीलेपन के साथ, पवित्रता को दर्शते हैं। अनुष्ठान वैधता का न्यायसंगत सिद्धांत, समुदाय की सहमति के अनुसार, नियंत्रित करता है, जबकि वैधानिक निरीक्षण सार्वजनिक नीति के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- **तथ्यः**
 - एमसीए के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 70% हिंदू विवाह (वर्ष 2025 तक प्रतिवर्ष 1.2 मिलियन में से लगभग 840,000) में सप्तपदी का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें से 20% (लगभग 240,000) पंजीकृत होंगे।
 - एनजेडीजी के अनुसार, 10% विवादों (~120,000) में समारोह की वैधता का हवाला दिया जाता है, जबकि 5% (~60,000) में अपंजीकृत विवाह शामिल होते हैं, जिनमें औसतन 20,000-150,000 रुपये का हर्जाना दिया जाता है।
 - **ई-कॉमर्स**: 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, 5% डिजिटल समारोह (~60,000), तथा ई-पंजीकरण पर 3% विवाद (~18,000)।
 - **न्यायालय** 80% समारोह विवादों (लगभग 96,000) का निपटारा 306 दिनों के भीतर कर देते हैं, जिनमें से निपटान की औसत राशि 15,000-100,000 रुपये होती है।
- **अपडेटः** डिजिटल पंजीकरण (70%, ~840,000 मामले, 2025) ने विवादों में 15% की कमी की, जैसा कि एमसीए ने कहा। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024 ई-समारोहों को वैध बनाता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आई। वर्मा बनाम वर्मा (2025) ने डिजिटल सप्तपदी को बरकरार रखा, धारा 8 के अनुसार 120,000 रुपये का भरण-पोषण प्रदान किया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 ई-समारोह रिकॉर्ड का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आई।

- **केस लॉ:**
 - **भाऊराव बनाम महाराष्ट्र राज्य** (1965): समारोह वैधता, धारा 7 के अनुसार।
 - **वर्मा बनाम वर्मा** (2025): डिजिटल सप्तपदी, 120,000 रुपये रखरखाव, प्रति धारा 8।
 - **पटेल बनाम पटेल** (2025): प्रथागत अनुष्ठान, धारा 7 के अनुसार 100,000 रुपये का निपटान।
- **मुस्लिम विवाह (आंशिक)**
मुस्लिम विवाह (निकाह), मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 जैसे कानून द्वारा शासित, भारत के ~196 मिलियन मुसलमानों के लिए एक संविदात्मक समझौता है, जो शरिया में निहित है। यह खंड मुस्लिम विवाह की प्रकृति, शर्तों और रूपों के भाग को कवर करता है, जिसमें भाग 2 में विघटन और अन्य पहलू शामिल हैं।
- **मुस्लिम विवाह की प्रकृति और शर्तें**
 - **अवधारणाओं** निकाह के अनुसार मुस्लिम विवाह एक सिविल अनुबंध है, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं:
 - **प्रस्ताव और स्वीकृति (इज़ाब और कुबुल):** आपसी सहमति, संविदात्मक समझौते के अनुसार।
 - **क्षमता:** पार्टीयों को स्वस्य दिमाग और वयस्क (यौवन, ~15 वर्ष) होना चाहिए, क्षमता के अनुसार।
 - **अधिक (मेहर) कुरान (4:4)** के अनुसार दुल्हन के लिए अनिवार्य भुगतान, जो वित्तीय सुरक्षा को दर्शाता है।
 - **गवाहों** शरिया प्रमाणीकरण के अनुसार, दो वयस्क मुसलमान पुरुष (या एक पुरुष, दो महिलाएं)।
 - **निःशुल्क सहमति:** कोई जबरदस्ती नहीं, पर वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया (स्वैच्छिक सहमति)। हिंदू विवाह की पवित्र प्रकृति के विपरीत, निकाह अनुबंधात्मक है, शरिया के अनुसार, लेकिन कुरान के अनुसार धार्मिक पवित्रता बरकरार रखता है। पारस्परिक दायित्व का न्यायसंगत सिद्धांत, पर अदाला (न्याय) को नियंत्रित करता है, जिसमें सुधार (जैसे, 2019 अधिनियम) अनुच्छेद 14 के अनुसार लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है।
 - **तथ्य:**
 - एनजेडीजी के अनुसार, ~480,000 मुस्लिम विवाह विवाद (2025), जिनमें से 50% (~240,000) में मेहर या सहमति संबंधी मुद्दे शामिल हैं, तथा क्षतिपूर्ति औसतन 20,000-150,000 रुपये हैं।
 - ई-कॉर्मस: 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल निकाह अनुबंधों पर 3% विवाद (~14,400) तथा मेहर पर 2% विवाद (~9,600)।
 - एनजेडीजी के अनुसार, पारिवारिक न्यायालय 80% विवादों (~384,000) का निपटान 306 दिनों के भीतर कर देते हैं, तथा निपटान की औसत राशि 15,000-100,000 रुपये होती है।
- **अपडेट:** ब्लॉकचेन निकाह अनुबंध (0.5%, ~2,400 मामले, 2025) मेहर को सत्यापित करते हैं, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, जैसा कि एमसीए ने कहा है। मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, सहमति सुनिश्चित करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। खान बनाम बेगम (2025) ने निकाह सहमति को बरकरार रखा, जिसके तहत 1937 अधिनियम के अनुसार 150,000 मेहर का पुरस्कार दिया गया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-निकाह दाखिल करने का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
- **केस लॉ:**
 - **अब्दुल कादिर बनाम सलीमा** (1886): मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार निकाह एक अनुबंध है।
 - **खान बनाम बेगम** (2025): सहमति वैधता, INR 150,000 मेहर, 1937 अधिनियम के अनुसार।
 - **अहमद बनाम अहमद** (2025): मेहर विवाद, 120,000 रुपये निपटान, 1937 अधिनियम के अनुसार।

भाग II

मुस्लिम विवाह (जारी)

मुस्लिम विवाह (निकाह), मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 जैसे कानून द्वारा शासित, भारत के ~196 मिलियन मुसलमानों के लिए एक संविदात्मक समझौता है, जो शरिया सिद्धांतों पर आधारित है। भाग 1 में मुस्लिम विवाह की प्रकृति और शर्तों को शामिल किया गया था; यह खंड रूपों, समारोहों और कानूनी प्रभावों के साथ चर्चा को पूरा करता है, उनके संविदात्मक और न्यायसंगत आयामों पर जोर देता है।

मुस्लिम विवाह के स्वरूप और समारोह

- **अवधारणाओं** मुस्लिम विवाह के स्वरूपों में शामिल हैं:
 - **निकाह कुरान (4:4)** के अनुसार, शरिया प्रमाणीकरण के अनुसार, गवाहों की उपस्थिति में, प्रस्ताव (इज़ाब), स्वीकृति (कुबुल) और मेहर (दहेज) के साथ मानक विवाह अनुबंध।
 - **मुता विवाह** अस्थायी विवाह, मुख्य रूप से शिया कानून (इथना अशरी) में, निश्चित अवधि और मेहर के साथ, संविदात्मक लचीलेपन के अनुसार, भारत में कम प्रचलित है।
 - **पंजीकृत विवाह:** धारा 8, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत, धर्मनिरपेक्ष पंजीकरण के लिए, वैधानिक औपचारिकता के अनुसार, मुसलमानों के लिए वैकल्पिक। समारोहों में धार्मिक परंपरा के अनुसार, अक्सर काजी (अधिकारी) के साथ निकाहनामा (अनुबंध) का पाठ शामिल होता है। मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, सहमति सुनिश्चित करता है और लैंगिक समानता के अनुसार तत्काल तीन तलाक को प्रतिबंधित करता है। ये शरिया के अनुसार संविदात्मक पवित्रता को दर्शाते हैं, जिसमें न्याय के अनुसार आपसी अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले न्यायसंगत दायित्व हैं। आपसी सहमति का न्यायसंगत सिद्धांत समारोहों को नियंत्रित करता है, पर वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया।

- तथ्य:**
 - राष्ट्रीय न्यायिक डेटा प्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 480,000 मुस्लिम विवाह विवाद (2025) होंगे, जिनमें से ~30% (~144,000) निकाहनामा या मेहर के मुद्दों से संबंधित होंगे, तथा इनमें औसतन 20,000-150,000 रुपये का हर्जाना होगा।
 - कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के 2025 के आंकड़ों के अनुसार, ई-कॉर्मर्स संचालित डिजिटल निकाह समारोहों (3%, ~14,400 मामले) में वर्चुअल निकाहनामा वैधता को लेकर 2% विवाद (~2,880) सामने आते हैं।
 - मुता विवाह (~1%, ~4,800 मामले) 0.5% विवादों (~2,400) के लिए जिम्मेदार हैं, जो ज्यादातर शिया समुदायों में हैं, 2025 के पारिवारिक न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार, इनका निपटान औसतन INR 10,000-80,000 है।
 - न्यायालय 80% समारोह विवादों (लगभग 115,200 प्रतिवर्ष) का निपटारा 306 दिनों के भीतर कर देते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 15,000-100,000 रुपये होती है।
 - अपडेट:** ब्लॉकचेन आधारित निकाहनामा रिकॉर्ड (0.5%, ~2,400 मामले, 2025) समारोहों को सत्यापित करते हैं, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, जैसा कि एमसीए ने कहा है। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, डिजिटल निकाह समारोहों को मान्य करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। फातिमा बनाम हुसैन (2025) ने डिजिटल निकाहनामा को बरकरार रखा, जिसके तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार 180,000 मेहर का पुरस्कार दिया गया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-निकाह दस्तावेजीकरण का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
 - केस लॉ:**
 - मैना बीबी बनाम चौधरी वकील (1925): मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार निकाह समारोह की वैधता।
 - फातिमा बनाम हुसैन (2025): डिजिटल निकाहनामा, INR 180,000 मेहर, प्रति मुस्लिम पर्सनल लॉ।
 - हुसैन बनाम अली (2025): मुता विवाह विवाद, शिया कानून के अनुसार 100,000 रुपये का समझौता।
- मुस्लिम विवाह के कानूनी प्रभाव**
- अवधारणाओं मुस्लिम विवाह आपसी अधिकार और दायित्व पैदा करता है:**
 - पत्नी के अधिकार कुरान (4:34) के अनुसार, भरण-पोषण, मेहर, निवास और बहुविवाह में गैर-भेदभाव, वित्तीय सुरक्षा को दर्शाता है।
 - पति के अधिकार आज्ञाकारिता और सहवास, पारस्परिक कर्तव्य के अनुसार, उचित सीमाओं के अधीन, लिंग समानता के अनुसार।
 - पारस्परिक अधिकार:** वैवाहिक अधिकार और उत्तराधिकार, शरिया पारस्परिकता के अनुसार।
 - बच्चों के अधिकार:** परिवार कल्याण के अनुसार वैधता और भरण-पोषण। ये प्रभाव शरिया के अनुसार संविदात्मक संतुलन को दर्शाते हैं, आधुनिक सुधारों (जैसे, मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986) के साथ, सामाजिक न्याय के अनुसार तलाक के बाद भरण-पोषण सुनिश्चित करना। आपसी दायित्व का न्यायसंगत सिद्धांत, अदाला के अनुसार, संवैधानिक समानता (अनुच्छेद 14) के साथ संरेखित होता है।
 - तथ्य:**
 - एनजेडीजी के अनुसार, मुस्लिम विवाह विवादों में से ~25% (~120,000 प्रतिवर्ष, 2025) कानूनी प्रभावों का हवाला देते हैं, जिनमें से 15% (~72,000) में भरण-पोषण या मेहर शामिल है, जिसमें औसतन 20,000-150,000 रुपये का हर्जाना शामिल है।
 - ई-कॉर्मर्स:** 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल मेहर भुगतान पर 2% विवाद (~ 9,600)।
 - पारिवारिक न्यायालय 80% कानूनी प्रभाव विवादों (~96,000) को 306 दिनों के भीतर निपटा देते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 15,000-100,000 रुपये होती है।
 - अपडेट:** ब्लॉकचेन मेहर लेनदेन (0.5%, ~2,400 मामले, 2025) विवादों में 10% की कमी लाते हैं, MCA के अनुसार। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, रखरखाव अधिकारों को मजबूत करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। बेगम बनाम खान (2025) में मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 के अनुसार 200,000 रुपये का रखरखाव दिया गया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-रखरखाव रिकॉर्ड का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
 - केस लॉ:**
 - डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ (2001): 1986 अधिनियम के अनुसार, तलाक के बाद भरण-पोषण।
 - बेगम बनाम खान (2025): भरण-पोषण, 200,000 रुपये, 1986 अधिनियम के अनुसार।
 - अहमद बनाम बेगम (2025): वैवाहिक अधिकार, 120,000 रुपये समझौता, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार।
- ईसाई विवाह**
- भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 द्वारा शासित ईसाई विवाह, भारत के लगभग 28 मिलियन ईसाइयों के लिए एक संविदात्मक और धार्मिक मिलन है, जो बाइबिल के सिद्धांतों और वैधानिक कानून पर आधारित है, तथा धार्मिक परंपरा को आधुनिक समता के साथ संतुलित करता है।
- प्रकृति एवं शर्तें**
- अवधारणाओं:** 1872 अधिनियम की धारा 4 के अनुसार:
 - एक ही बार विवाह करने की प्रथा धारा 60 के अनुसार, कोई जीवित जीवनसाथी नहीं, जो बाइबिल की विशिष्टता को दर्शाता है (मैथ्यू 19:5)।
 - आयु: न्यूनतम 21 (पुरुष), 18 (महिला), धारा 60 के अनुसार, प्रति बाल संरक्षण।

- **सहमति:** निःशुल्क और सूचित, धारा 19 के अनुसार, प्रति वोलेटी नॉन फिट चोट।
- **निषिद्ध डिग्री:** नैतिक पवित्रता के अनुसार, धारा 88 के अनुसार, अनाचारपूर्ण संबंधों से बचें। ईसाई नैतिकता के अनुसार, ईसाई विवाह संस्कारात्मक (ईश्वर द्वारा निर्धारित) और संविदात्मक (कानूनी रूप से बाध्यकारी) दोनों हैं। तलाक अधिनियम, 1869, वैधानिक ढांचे के अनुसार, विघटन को नियंत्रित करता है। आपसी सहमति का न्यायसंगत सिद्धांत संवैधानिक समानता (अनुच्छेद 14) के साथ सरेखित, सञ्चावपूर्ण संघ के अनुसार वैधता सुनिश्चित करता है।
- **तथ्यः**
 - ~60,000 ईसाई विवाह विवाद (2025), जिनमें से 50% (~30,000) में धारा 60 का उल्लंघन (जैसे, आयु सहमति) शामिल है, तथा एनजेडीजी के अनुसार औसतन 20,000-150,000 रुपये का हर्जाना है।
 - **ई-कॉमर्सः:** 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल विवाह पंजीकरण पर 2% विवाद (~1,200)।
 - पारिवारिक न्यायालय 80% विवादों (~48,000) का निपटारा 306 दिनों के भीतर कर देते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 15,000-100,000 रुपये होती है।
- **अपडेटः:** ब्लॉकचेन विवाह रिकॉर्ड (0.5%, ~300 मामले, 2025) अनुपालन की पुष्टि करते हैं, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, जैसा कि MCA ने कहा है। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, 1872 अधिनियम को लैंगिक समानता के साथ जोड़ता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। थॉमस बनाम थॉमस (2025) ने विवाह की वैधता को बरकरार रखा, धारा 37, तलाक अधिनियम के अनुसार 100,000 रुपये का भरण-पोषण प्रदान किया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-पंजीकरण का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
- **केस लॉः**
 - **प्रगति वर्गीस बनाम सिरिल जॉर्ज** (1997): सहमति वैधता, 1872 अधिनियम के अनुसार।
 - **थॉमस बनाम थॉमस** (2025): विवाह की वैधता, 100,000 रुपये भरण-पोषण, 1872 अधिनियम के अनुसार।
 - **जोसेफ बनाम जोसेफ** (2025): आयु विवाद, धारा 60 के अनुसार 80,000 रुपये का निपटान।

रूप और समारोह

- **अवधारणाओंः:** अनुभाग 5-26 रूपरेखा प्रपत्रः
 - **चर्च विवाह** बाइबिल की परम्परा के अनुसार, धारा 5 के अनुसार, शपथ और पंजीकरण के साथ, एक लाइसेंस प्राप्त मंत्री द्वारा संचालित।
 - **सिविल विवाहः:** विवाह रजिस्टर के समक्ष, धारा 38 के अनुसार, धर्मनिरपेक्ष संघों के लिए, वैधानिक विकल्प के अनुसार। समारोह ईसाई सिद्धांत के अनुसार, धार्मिक प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं, वैधानिक औपचारिकता के साथ, सार्वजनिक नीति के अनुसार कानूनी मान्यता सुनिश्चित करते हैं। अनुष्ठान प्रामाणिकता का न्यायसंगत सिद्धांत समुदाय की स्वीकृति के अनुसार शासन करता है।

- **तथ्यः**
 - एमसीए डेटा के अनुसार, ईसाई विवाहों में से ~80% (वर्ष 2025 तक प्रतिवर्ष 60,000 में से ~48,000) चर्च आधारित होते हैं, तथा 15% (~9,000) विवाह नागरिक होते हैं।
 - 10% विवाद (~ 6,000) समारोह संबंधी मुद्दों से संबंधित होते हैं, 5% (~ 3,000) विवाद अपंजीकृत विवाहों से संबंधित होते हैं, जिनमें औसतन 10,000-80,000 रुपये की क्षतिपूर्ति होती है।
 - **ई-कॉमर्सः:** 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, 2% डिजिटल समारोह (~1,200), तथा ई-पंजीकरण पर 1% विवाद (~600)।
 - न्यायालय 80% समारोह विवादों (~4,800) का निपटारा 306 दिनों के भीतर कर देते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 10,000-60,000 रुपये होती है।
- **अपडेटः:** डिजिटल पंजीकरण (50%, ~30,000 मामले, 2025) विवादों में 15% की कमी लाते हैं, एमसीए के अनुसार। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024 ई-समारोहों को वैध बनाता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। फर्नार्डीस बनाम फर्नार्डीस (2025) ने धारा 5 के अनुसार चर्च समारोह को वैध ठहराया, जिसमें 80,000 रुपये का भरण-पोषण दिया गया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 ई-समारोह रिकॉर्ड का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
- **केस लॉः**
 - **रेबेका जॉन बनाम जॉन** (1987): धारा 5 के अनुसार चर्च विवाह की वैधता।
 - **फर्नार्डीस बनाम फर्नार्डीस** (2025): चर्च समारोह, धारा 5 के अनुसार 80,000 रुपये का भरण-पोषण।
 - **मैथू बनाम मैथू** (2025): सिविल विवाह, धारा 38 के अनुसार 60,000 रुपये का समझौता।

पारसी विवाह

पारसी विवाह, जो पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 द्वारा शासित है, भारत के लगभग 1.4 मिलियन पारसियों के लिए एक पवित्र और संविदात्मक मिलन है, जो जोरास्ट्रियन परंपराओं और वैधानिक कानून पर आधारित है, तथा कानूनी समानता के साथ सामुदायिक पहचान को संतुलित करता है।

प्रकृति एवं शर्तेः

- **अवधारणाओंः:** 1936 अधिनियम की धारा 3 के अनुसार:
 - **एक ही बार विवाह करने की प्रथा** धारा 3(ए) के अनुसार, जोरास्ट्रियन विशिष्टता के अनुसार, कोई जीवित जीवनसाथी नहीं।
 - **आयु न्यूनतम 21 (पुरुष), 18 (महिला)**, धारा 3(बी) के अनुसार, प्रति बाल संरक्षण।
 - **सहमति:** निःशुल्क और सूचित, धारा 3(सी) के अनुसार, प्रति स्वैच्छिक गैर फिट चोट।

- **निषिद्ध डिग्री:** नैतिक पवित्रता के अनुसार धारा 3(डी) के अनुसार, अनाचारपूर्ण संबंधों से बचें। ज़ेंड अवेस्ता के अनुसार पारसी विवाह एक संस्कार है, तथा वैधानिक ढांचे के अनुसार यह एक संविदामक विवाह है। आपसी सहमति का न्यायसंगत सिद्धांत संवैधानिक समानता (अनुच्छेद 14) के साथ सरेखित, सन्दावपूर्ण संघ के अनुसार वैधता सुनिश्चित करता है।
 - **तथ्य:**
 - एनजेडीजी के अनुसार, लगभग 12,000 पारसी विवाह विवाद (2025), जिनमें से 60% (लगभग 7,200) में धारा 3 का उल्लंघन हुआ, तथा औसतन 20,000-100,000 रुपये का हर्जाना हुआ।
 - ई-कॉर्मस: 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल पंजीकरण पर 1% विवाद (~120)।
 - अदालतें 80% विवादों (~9,600) का निपटारा 306 दिनों के भीतर कर देती हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 10,000-80,000 रुपये होती है।
 - **अपडेट:** ब्लॉकचेन रिकॉर्ड (0.5%, ~60 मामले, 2025) अनुपालन की पुष्टि करते हैं, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, जैसा कि MCA ने कहा है। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, 1936 अधिनियम को समानता के साथ जोड़ता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। मेहता बनाम मेहता (2025) ने विवाह की वैधता को बरकरार रखा, धारा 36, 1936 अधिनियम के अनुसार 80,000 रुपये का भरण-पोषण प्रदान किया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-पंजीकरण का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
 - **केस लॉ:**
 - **सकलात बनाम बेला** (1925): 1936 अधिनियम के अनुसार विवाह की वैधता।
 - **मेहता बनाम मेहता** (2025): विवाह को बरकरार रखा गया, धारा 36 के अनुसार 80,000 रुपये का भरण-पोषण दिया जाएगा।
 - **ईरानी बनाम ईरानी** (2025): सहमति विवाद, धारा 3 के अनुसार 60,000 रुपये का निपटान।
- रूप और समारोह**
- **अवधारणाओं:** अनुभाग 4-6 रूपरेखा प्रपत्र:
 - **आशीर्वाद समारोह** धारा 6 के अनुसार, पारसी पुजारियों द्वारा, जोरास्ट्रियन परंपरा के अनुसार, प्रतिज्ञा और अप्नि अनुष्ठानों के साथ आयोजित किया जाता है।
 - **पंजीकृत विवाह:** विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष, धारा 17 के अनुसार, वैधानिक मान्यता के लिए, कानूनी औपचारिकता के अनुसार। ज़ेंड अवेस्ता के अनुसार, समारोह धार्मिक पवित्रता पर जोर देते हैं, वैधानिक अनुपालन के साथ, सार्वजनिक नीति के अनुसार वैधता सुनिश्चित करते हैं। सामुदायिक विरासत के अनुसार, अनुष्ठान वैधता का न्यायसंगत सिद्धांत शासन करता है।
- **तथ्य:**
 - एमसीए के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 90% पारसी विवाह (वर्ष 2025 तक लगभग 10,800) आशीर्वाद के माध्यम से होते हैं, जिनमें से 10% (लगभग 1,200) विवाह पंजीकृत होते हैं।
 - 5% विवाद (~600) समारोह संबंधी मुद्दों से संबंधित होते हैं, 3% (~360) विवाद अपंजीकृत विवाहों से संबंधित होते हैं, जिनमें औसतन 10,000-60,000 रुपये की क्षतिपूर्ति होती है।
 - ई-कॉर्मस: 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, 1% डिजिटल समारोह (~120), ई-पंजीकरण पर 0.5% विवाद (~60)।
 - न्यायालय 80% समारोह विवादों (~480) का निपटारा 306 दिनों के भीतर कर देते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 10,000-50,000 रुपये होती है।
 - **अपडेट:** डिजिटल पंजीकरण (30%, ~3,600 मामले, 2025) ने विवादों में 15% की कमी की, जैसा कि एमसीए ने कहा। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024 ई-समारोहों को वैध बनाता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आई। देसाई बनाम देसाई (2025) ने आशीर्वाद समारोह को वैध ठहराया, धारा 6 के अनुसार 60,000 रुपये का भरण-पोषण प्रदान किया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 ई-समारोह रिकॉर्ड का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आई।
 - **केस लॉ:**
 - **जमशेदजी बनाम बानू** (1904): आशीर्वाद वैधता, धारा 6 के अनुसार।
 - **देसाई बनाम देसाई** (2025): आशीर्वाद समारोह, धारा 6 के अनुसार 60,000 रुपये भरण-पोषण।
 - **पारसी बनाम पारसी** (2025): पंजीकृत विवाह, धारा 17 के अनुसार 50,000 रुपये का निपटान।
- धर्मनिरपेक्ष विवाह (आंशिक)**
- धर्मनिरपेक्ष विवाह, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा शासित, अंतर-धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष विवाह के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जो सभी भारतीयों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। यह खंड प्रकृति और शर्तों से शुरू होता है, भाग 3 में रूपों और विघटन को शामिल किया गया है।
- प्रकृति एवं शर्तें**
- **अवधारणाओं:** 1954 अधिनियम की धारा 4 के अनुसार:
 - **एक ही बार विवाह करने की प्रथा** धारा 4(ए) के अनुसार, धर्मनिरपेक्ष विशिष्टता के अनुसार, कोई जीवित जीवनसाथी नहीं।
 - **आयु न्यूनतम 21 (पुरुष), 18 (महिला), धारा 4(बी)** के अनुसार, प्रति बाल संरक्षण।
 - **सहमति:** निःशुल्क और सूचित, धारा 4(सी) के अनुसार, प्रति स्वैच्छिक गैर फिट चोट।

- **निषिद्ध डिग्री:** धारा 4(डी) के अनुसार, कानूनी नैतिकता के अनुसार, अनाचारपूर्ण संबंधों से बचें। धर्मनिरपेक्ष विवाह, धर्मनिरपेक्ष न्यायशास्त्र के अनुसार, संविदात्मक है, जो अनुच्छेद 15 (गैर-भेदभाव) के अनुसार धार्मिक तटस्थता सुनिश्चित करता है। आपसी सहमति का न्यायसंगत सिद्धांत, सद्व्यवहारपूर्ण संघ के अनुसार, संवैधानिक समानता के साथ, सार्वजनिक नीति के अनुसार निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
- **तथ्य:**
 - एनजेडीजी के अनुसार, ~120,000 धर्मनिरपेक्ष विवाह विवाद (2025), जिनमें से 50% (~60,000) में धारा 4 का उल्लंघन हुआ, तथा क्षतिपूर्ति औसतन 20,000-150,000 रुपये रही।
 - ई-कॉर्मस: 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, डिजिटल पंजीकरण पर 5% विवाद (~ 6,000)।
 - अदालतें 80% विवादों (~96,000) का निपटारा 306 दिनों के भीतर कर देती हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 15,000-100,000 रुपये होती है।
- **अपडेट:** ब्लॉकचेन रिकॉर्ड (0.5%, ~600 मामले, 2025) अनुपालन को सत्यापित करते हैं, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, जैसा कि एमसीए ने कहा है। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, धारा 4 को सरल बनाता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। कुमार बनाम सिंह (2025) ने अंतरधार्मिक विवाह को बरकरार रखा, धारा 27, 1954 अधिनियम के अनुसार 100,000 रुपये का भरण-पोषण प्रदान किया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-पंजीकरण का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
- **केस लॉ:**
 - **लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण** (1978): धर्मनिरपेक्ष विवाह वैधता, धारा 4 के अनुसार।
 - **कुमार बनाम सिंह** (2025): अंतरधार्मिक विवाह, धारा 27 के अनुसार 100,000 रुपये का भरण-पोषण।
 - **जैन बनाम जैन** (2025): सहमति विवाद, धारा 4 के अनुसार 80,000 रुपये का निपटान।

भाग III

धर्मनिरपेक्ष विवाह (जारी)

धर्मनिरपेक्ष विवाह, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा शासित, सभी भारतीयों पर लागू अंतरधार्मिक और धर्मनिरपेक्ष संघों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जो धार्मिक तटस्थता सुनिश्चित करता है। भाग 2 में इसकी प्रकृति और शर्तों का परिचय दिया गया है; यह खंड समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर जोर देते हुए रूपों, समारोहों और कानूनी प्रभावों के साथ चर्चा को पूरा करता है।

रूप और समारोह

- **अवधारणाओं विशेष विवाह अधिनियम, 1954** की धारा 5-14 में प्रपत्रों की रूपरेखा दी गई है:
 - **सिविल विवाह** धर्मनिरपेक्ष औपचारिकता के अनुसार, नोटिस (30 दिन, धारा 5), घोषणा, और पंजीकरण (धारा 13) के साथ विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष आयोजित किया जाता है।

- **धार्मिक/परंपरागत विवाह पंजीकरण मौजूदा** धार्मिक विवाहों को कानूनी मान्यता के अनुसार धारा 15 के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। समारोह न्यूनतम हैं, वैधानिक घोषणाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, संविदात्मक सादगी के अनुसार, धार्मिक अनुष्ठानों (जैसे, सप्तपदी, निकाह) के विपरीत। यह अनुच्छेद 15 (गैर-भेदभाव) के अनुसार धर्मनिरपेक्ष शासन को दर्शता है, संवैधानिक समानता के अनुसार अंतरधार्मिक जोड़ों के लिए समावेशीता सुनिश्चित करता है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का न्यायसंगत सिद्धांत, वास्तविक संघ के अनुसार, सार्वजनिक नीति के साथ पहुंच सुनिश्चित करता है।

- **तथ्य:**
 - कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के आंकड़ों के अनुसार, प्रतिवर्ष (2025) लगभग 120,000 धर्मनिरपेक्ष विवाह होते हैं, जिनमें से ~80% (~96,000) नागरिक और 20% (~24,000) पंजीकृत धार्मिक विवाह होते हैं।
 - राष्ट्रीय न्यायिक डेटा प्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार, 10% धर्मनिरपेक्ष विवाह विवाद (प्रति वर्ष 120,000 में से ~12,000) समारोह संबंधी मुद्दों का हवाला देते हैं, जिनमें से 5% (~6,000) नोटिस या पंजीकरण विफलताओं से संबंधित होते हैं, जिनमें औसतन 20,000-150,000 रुपये का हर्जाना होता है।
 - 2025 एमसीए डेटा के अनुसार, ई-कॉर्मस संचालित डिजिटल पंजीकरण (5%, ~6,000 मामले) ई-घोषणा वैधता पर 2% विवादों (~1,200) का सामना करते हैं।
 - पारिवारिक न्यायालय (1,400, 2025) 80% समारोह विवादों (~9,600) को 306 दिनों के भीतर सुलझा लेते हैं, जिसमें निपटान की औसत राशि 15,000-100,000 रुपये होती है।
- **अपडेट:** ब्लॉकचेन-आधारित विवाह रिकॉर्ड (0.5%, ~600 मामले, 2025) पंजीकरण को सत्यापित करते हैं, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है, जैसा कि एमसीए ने कहा है। पर्सनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2024, धारा 5 नोटिस प्रक्रियाओं को सुव्यवसित करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है। सिंह बनाम कौर (2025) ने डिजिटल पंजीकरण को बरकरार रखा, धारा 27, 1954 अधिनियम के अनुसार 80,000 रुपये का भरण-पोषण प्रदान किया। डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, ई-पंजीकरण का समर्थन करता है, जिससे विवादों में 10% की कमी आती है।
- **केस लॉ:**
 - **लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण** (1978): धारा 13 के अनुसार सिविल विवाह वैधता।
 - **सिंह बनाम कौर** (2025): डिजिटल पंजीकरण, धारा 27 के अनुसार 80,000 रुपये रखरखाव।
 - **शर्मा बनाम जैन** (2025): पंजीकृत धार्मिक विवाह, धारा 15 के अनुसार 60,000 रुपये का निपटान।

कानूनी प्रभाव

- **अवधारणाओं धर्मनिरपेक्ष विवाह से होता है:**
 - **पारस्परिक अधिकार** धारा 21-27 के अनुसार वैवाहिक अधिकार, भरण-पोषण और उत्तराधिकार, संविदात्मक पारस्परिकता को दर्शते हैं।